

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29112021-231463
SG-DL-E-29112021-231463असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 278
No. 354]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943	[N. C. T. D. No. 278

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIश्रम विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

सं. फा. 15(75)/लैब/2021/4588.—मजूदरी संहिता (दिल्ली) नियमावली, 2021 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल मजूदरी संहिता, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने हेतु प्रस्ताव रखते हैं। इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित किया जाता है एवं एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-चार में अपने प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के पश्चात् विचार किया जाएगा। किसी व्यक्ति का लिखित या ई-मेल पर कोई आपत्ति या सुझाव जिसे उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले अपर सचिव (मुख्यालय) (labjlc2.delhi@nic.in), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-54 को प्राप्त होता है, तो उस पर श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को मजूदरी संहिता (दिल्ली) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।

- (2) ये संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।
- (3) ये मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के प्रारंभ की तिथि से शासकीय राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. **परिभाषाएं** :- इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “प्राधिकारी” से अभिप्राय धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकारी से है;
- (ख) “अपीलीय प्राधिकारी” से अभिप्राय धारा 49 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अपीलीय प्राधिकारी से है;
- (ग) “अपील” से अभिप्राय धारा 49 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिमानित अपील से है;
- (घ) “बोर्ड” से अभिप्राय धारा 42 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित दिल्ली राज्य सलाहकार बोर्ड से है;
- (ङ) “अध्यक्ष” से अभिप्राय बोर्ड के अध्यक्ष से है;
- (च) “संहिता” से अभिप्राय मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) से है;
- (छ) “समिति” से अभिप्राय धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति से है;
- (ज) “दिवस” से अभिप्राय मध्य रात्रि से आरंभ होने वाले 24 घंटे की अवधि से है;
- (झ) “प्रपत्र” से अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है;
- (ञ) “सरकार” से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 239कक में यथासंदर्भित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;
- (ट) “अति कुशल व्यवसाय” से अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिसके निष्पादन में उत्कृष्टता के विशिष्ट स्तर तथा एक विचारणीय अवधि के लिए गहन तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित है और एक कर्मचारी से यह भी अपेक्षित है कि ऐसे कार्य के निष्पादन में शामिल अपने मत या निर्णय के लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व को ग्रहण करें;
- (ठ) “निरीक्षक-सह-समन्वयक” से अभिप्राय धारा 51 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा, सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है;
- (ड) “सदस्य” से अभिप्राय बोर्ड के सदस्य एवं उसमें शामिल उनके अध्यक्ष से है;
- (ढ) “पंजीकृत व्यापार संघ” से अभिप्राय व्यापार संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के पंजीकृत व्यापार संघ से है;
- (ण) “अनुसूची” से अभिप्राय इन नियमों की अनुसूची से है;
- (त) “धारा” से अभिप्राय संहिता की धारा से है;
- (थ) “अर्ध-कुशल व्यवसाय” से अभिप्राय ऐसे व्यवसाय से है जिसमें इसके निष्पादन में नौकरी पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का अनुप्रयोग अपेक्षित होता है जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन के अंतर्गत लागू होने में सक्षम है तथा इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;
- (द) “कुशल व्यवसाय” से अभिप्राय ऐसे व्यवसाय से है जिसमें तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अथवा नौकरी पर अनुभव द्वारा इसके निष्पादन में कुशलता और क्षमता शामिल है एवं ऐसा निष्पादन जिसमें पहल और विवेक की आवश्यकता होती है;
- (ध) “अकुशल व्यवसाय” से अभिप्राय वह व्यवसाय है जिसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव का अनुप्रयोग अपेक्षित है तथा कोई अतिरिक्त कौशल शामिल न हो;
- (न) इन नियमों में इसके साथ-साथ प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो संहिता में दिया गया है।

अध्याय -II

न्यूनतम मजदूरी

3. **न्यूनतम मजदूरी दर गणना करने का तरीका** :- (1) धारा 6 की उपधारा (5) के प्रयोजनार्थ, न्यूनतम मजदूरी दर निम्नलिखित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर नियत की जाएगी; अर्थात् :-
- (i) मानक श्रम वर्ग परिवार जिसमें आजीविका श्रमिक के अतिरिक्त दो बच्चे एवं पति अथवा पत्नी शामिल है, जो तीन वयस्क उपभोग इकाइयों के समान है;

- (ii) मध्यम गतिविधियां करने वाले वयस्क व्यक्ति हेतु राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा निर्धारित अथवा 2731 कैलोरी प्रति दिन प्रति उपभोग इकाई
- (iii) प्रति मानक श्रम वर्ग परिवार हेतु प्रतिवर्ष 66 मीटर कपड़ा;
- (iv) आवासीय किराया जो भोजन एवं वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;
- (v) ईंधन, विद्युत एवं व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी की 20 प्रतिशत होगी; तथा
- (vi) बच्चों की शिक्षा के लिए व्यय, चिकित्सा आवश्यकता, मनोरंजन एवं आकस्मिकताओं पर व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा।
- (2) जब एक दिन के लिए मजदूरी दर नियत की जाती है, तब ऐसी राशि को एक घंटे के लिए मजदूरी दर नियत करने हेतु आठ से विभाजित किया जाता है एवं एक माह के लिए मजदूरी दर नियत करने हेतु छब्बीस से गुणा किया जाता है तथा ऐसे भाग एवं गुणा से प्राप्त आधे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा तथा आधे से कम गुणनखंड को अनदेखा किया जाएगा।
4. **न्यूनतम मजदूरी दर को नियत करने हेतु मानदंड :-** (1) सरकार कौशल वर्गीकरण के संबंध में सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ तकनीकी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-
- (i) श्रम आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - अध्यक्ष;
- (ii) अपर श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य;
- (iii) कौशल विकास से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (iv) विशेष निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक, रोजगार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-सदस्य;
- (v) सरकार द्वारा नामित के अनुरूप मजदूरी निर्धारण में दो तकनीकी विशेषज्ञ-सदस्य;
- (2) सरकार उप-नियम (1) में संदर्भित तकनीकी समिति की सलाह पर, अनुसूची (ई) में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यवसायों के वर्गीकरण में कोई भी प्रविष्टि संशोधन करके, हटाकर या जोड़कर कर्मचारियों के व्यवसाय को चार वर्गों अर्थात् अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल एवं अति कुशल के रूप में वर्गीकृत करती है।
- (3) उप-नियम (1) में संदर्भित तकनीकी समिति उप-नियम (2) के अंतर्गत सरकार को सलाह देने के समय व्यवसायों की पहचान हेतु उस समय प्रतिपादित व्यवसाय के राष्ट्रीय वर्गीकरण अथवा राष्ट्रीय कौशल वर्गीकरण ढांचा अथवा अन्य समान ढांचे पर यथासंभव ध्यान देगी।
5. **महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण हेतु समय अंतराल :-** रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायती नकद मूल्य निर्वाह भत्ते की लागत की गणना 01 अप्रैल से पहले एक बार की जाएगी और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर से पहले संशोधित करने का प्रयास किया जाएगा।
6. **एक सामान्य कार्य दिवस के निर्माण हेतु कार्य के घंटों की संख्या :-** (1) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अंतर्गत सामान्य कार्य दिवस में काम के आठ घंटे शामिल होंगे तथा विश्राम का एक या एक से अधिक अंतराल कुल मिलाकर एक घंटे से अधिक नहीं होगा।
- (2) कर्मचारी का कार्य-दिवस इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि विश्राम के अंतराल के, मिलाकर, यदि कोई है, तो भी एक दिन में इसमें 12 घंटे से अधिक विस्तार नहीं होगा।
- (3) उपनियम (1) एवं (2) के प्रावधान कृषि रोजगार में कार्यरत कर्मचारी के मामले में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे आशोधनों, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन होंगे।
- (4) इस नियम से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के प्रावधानों या इसमें शामिल हो सकने वाले कोई अन्य कानून प्रभावित नहीं समझे जाएंगे।
7. **विश्राम का साप्ताहिक दिन :-** इस नियम के प्रावधानों के अंतर्गत, कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक दिन, के विश्राम की अनुमति होगी (तत्पश्चात् विश्राम दिन के रूप में संदर्भित किया गया है) जो साधारणतः रविवार होगा, लेकिन नियोक्ता कर्मचारियों के वर्ग अथवा किसी कर्मचारी के लिए सप्ताह के किसी अन्य दिन को विश्राम दिन के रूप में नियत कर सकते हैं।
- यह उपबंधित किया जाता है कि एक कर्मचारी इस नियम के अधीन हकदार होगा यदि उसने उसी नियोक्ता के अधीन छह दिनों तक निरंतर काम किया है।
- आगे यह भी उपबंधित किया जाता है कि कर्मचारी को नियत विश्राम दिन एवं बाद के किसी विश्राम दिन में परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना कर्मचारी के कार्यस्थल के सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करके दी जाएगी।

स्पष्टीकरण :- इस उपनियम के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट छह दिनों की निरंतर अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ कोई भी दिन जब कर्मचारी को कार्य के लिए उपस्थित होना अपेक्षित है लेकिन

उसे काम उपलब्ध न कराके उपस्थित होने के लिए केवल भत्ता दिया जाता है। एक ऐसे दिन जिस पर किसी कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) अथवा इसमें शामिल होने वाले कोई अन्य कानून के अधीन प्रतिकर भुगतान पर निकाल दिया जाता है एवं नियोक्ता द्वारा विश्राम दिन के तुरन्त पूर्व छह दिनों की अवधि में सवेतन या वेतन रहित किसी प्रकार की छुट्टी या अवकाश को वे दिन माने जाएंगे जिस पर कर्मचारी ने काम किया है।

(2) ऐसे किसी भी कर्मचारी को विश्राम के दिन पर कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरन्त पूर्व या पश्चात् पांच दिनों में से किसी एक पूरे दिन का वैकल्पिक अवकाश न लिया है अथवा न लेगा।

परन्तु यह उपबंधित है कि ऐसा कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को पूरे दिन बिना विश्राम के 10 दिनों से अधिक निरंतर कार्य करना पड़े।

(3) जहां इस नियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसरण में यदि कोई भी व्यक्ति विश्राम वाले दिन पर कार्य करता है तथा विश्राम दिवस के बाद अथवा पूर्व 5 दिनों में से किसी एक दिन विश्राम दिवस को प्रतिस्थापित करता है तो शेष दिन कार्य साप्ताहिक घंटों की गणना करने के उद्देश्य हेतु उस सप्ताह में शामिल किया जाएगा जिसमें कि प्रतिस्थापित विश्राम दिवस आया है।

(4) एक कर्मचारी को प्रदान किया गया है —

(क) अगले पूर्ववर्ती दिवस पर लागू दर पर विश्राम दिवस के वेतन की गणना, तथा

(ख) जहां वह विश्राम दिवस पर कार्य करता है तथा उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया जाता है तो जिस दिन उसने कार्य किया है उस दिन का वेतन विश्राम दिवस के लिए दिया जाएगा तथा अगले पूर्ववर्ती दिन पर लागू कर से प्रतिस्थापित विश्राम दिवस हेतु अतिरिक्त कार्य पर दर तथा वेतन दिया जाएगा।

यहां यह भी उपबंधित है कि —

(i) संहिता के अन्तर्गत अधिसूचित के अनुसार कर्मचारी के वेतन की न्यूनतम दर को 26 द्वारा विभाजित करके न्यूनतम मासिक वेतन दर को निकाला जाएगा, अथवा

(ii) यदि कर्मचारी विश्राम दिवस पर कार्य करता है तथा उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है तब, उसे कवल विश्राम दिवस के लिए कार्य करने वाले दिन का ओवरटाइम की दर पर देय वेतन के समान राशि दी जाएगी तथा यदि इस परन्तुक के प्रावधानों के अनुसरण में दैनिक मजदूरी की दर पर कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार रखने वाले प्राधिकारी के समक्ष इस संबंध में प्रार्थना पत्र भेजा जाएगा तथा वह संबंधित पक्षों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर देने के पश्चात् निर्णय लेगा।

आगे यह भी उपबंधित है कि यदि कोई कर्मचारी कार्यानुसार मजदूरी भुगतान प्रणाली के अधीन कार्य करता है तो विश्राम दिवस अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, जैसी भी स्थिति हो, के लिए वेतन, रोजगार के संबंध में संहिता के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इस उपनियम में "आगामी पूर्ववर्ती दिवस" से तात्पर्य है कि अंतिम दिन जिस पर कर्मचारी ने कार्य किया है, जो विश्राम दिवस अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, जैसा भी मामला हो का पूर्ववर्ती दिवस से तात्पर्य है कि अंतिम दिन जिस पर कर्मचारी ने कार्य किया है तथा जो विश्राम दिवस का पूर्ववर्ती दिवस है।

(5) इस नियम के प्रावधान अधिक अनुकूल शर्तों के प्रतिकूल कार्य नहीं करेंगे, यदि कोई है तो, जिसके लिए एक कर्मचारी किसी अन्य कानून के तहत या अन्य निर्णय की शर्तों, सेवा की संविदा या अनुबंध के तहत हकदार हो सकता है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी केवल पूर्वोक्त अधिक अनुकूल शर्तों के लिए हकदार होगा।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ 'सप्ताह' का अर्थ, शनिवार रात मध्यरात्रि से आरंभ सात दिनों की अवधि से होगा।

8. **रात्रि पाली :-**जहां एक कर्मचारी रोजगार में रात्रि पाली में कार्य करता है, से जिसका समय मध्यरात्रि से अधिक का है, तब—

(क) ऐसे मामले में नियम 7 के प्रयोजनार्थ पूरे दिन हेतु विश्राम दिन से अभिप्राय उसकी पाली समाप्त होने के समय से आरंभ होकर लगातार चौबीस घंटों से होगा; और

(ख) ऐसी स्थिति में, जब ऐसी पाली समाप्त होने के समय से आरंभ होकर चौबीस घंटे की अवधि को अगले दिन में माना जाएगा तथा मध्यरात्रि के पश्चात् के घंटों के दौरान, जिसमें ऐसा कर्मचारी कार्य में लगा था, को पिछले दिन की ओर गिना जाएगा।

9. **धारा 13 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा एवं शर्तें** :—कर्मचारियों के मामले में —
- (क) किसी भी ऐसी आपतकालीन सेवा, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता या जिसे रोका नहीं जा सकता, में लगे हुए।
- (ख) संबंधित रोजगार में सामान्य कामकाज के उद्देश्य से प्राथमिक अथवा पूरक प्रकृति के कार्य जिन्हें किया जाना अतिआवश्यक हो, में लगे हुए।
- (ग) जिनका रोजगार अनिवार्यतः अनिर्न्तर है।
- (घ) किसी भी ऐसे कार्य में लगे हुए, जो तकनीकी कारणों से कर्तव्य पूर्ण होने की अवधि से पहले ही पूरा हो गया हो, और
- (ङ) ऐसे कार्य में लगे हुए, जो प्राकृतिक बलों की अनियमित क्रिया पर निर्भर होने के कारण समय पर नहीं किए जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में नियम 6, 7 और 8 के प्रावधान लागू होंगे, बशर्तें कि :—
- (i) कर्मचारी के कार्य के घंटों का विस्तार किसी भी दिन 16 घंटे से अधिक नहीं होगा; तथा
- (ii) कार्य के वास्तविक घंटों में विश्राम के अंतराल को छोड़कर तथा कार्य न करने की अवधि जिसमें कर्मचारी ड्यूटी पर रहता हो लेकिन किसी भी दिन न तो उसे शारीरिक गतिविधि को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है और न ही नौ घंटे से अधिक लगातार उपस्थिति को दर्ज करने के लिए कहा जाता हो।
10. **लंबी मजदूरी अवधि** :— धारा 14 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर के प्रयोजनार्थ लंबी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।
11. **धारा 10 के परंतुक के खंड (ii) के अन्तर्गत परिस्थितियां** :— धारा 10 के अन्तर्गत कोई भी कर्मचारी एक पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा यदि वह उस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून (नियमों) के अन्तर्गत इस प्रकार की मजदूरी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अध्याय —III

मजदूरी का भुगतान

12. **धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वसूली** :—जहां धारा 18 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत कुल कटौती किसी भी कर्मचारी के वेतन का 50प्रतिशत से अधिक हो तो अतिरिक्त को अग्रेषित कर दिया जाएगा एवं ऐसी किश्तों को, जैसा भी मामला हो, उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या मजदूरी अवधियों से वसूल कर लिया जाए, ताकि किसी भी माह में वसूली कर्मचारी के उस माह के वेतन के 50प्रतिशत से अधिक न हो।
13. **धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकारी** :— धारा 19 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ संबंधित कर्मचारी कार्य स्थल पर क्षेत्राधिकार रखने वाले संयुक्त अथवा उप-श्रमायुक्त प्राधिकारी होंगे।
14. **धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नोटिस प्रदर्शित करने का तरीका** :— धारा 19 की उपधारा (2) में एक नोटिस निर्दिष्ट है जिसे रोजगार वाले कार्य स्थल के परिसरों में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी सूचना (नोटिस) की विषय वस्तु को सरलता से पढ़ने में सक्षम हो तथा सूचना (नोटिस) की एक प्रति क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-समन्वयक को भेजी जाएगी।
15. **धारा 19 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रक्रिया** :— नियम 13 में निर्दिष्ट संयुक्त अथवा उप-श्रमायुक्त से दंड के आरोपण के अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए नियोक्ता लिखित सूचना में विस्तृत विवरणियों को निर्दिष्ट करते हुए सूचना देगा, जो अनुमोदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने से पहले संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देगा।
16. **कटौती की सूचना** :— धारा 20 की उपधारा (2) के परंतुक के अनुसरण में जहां प्रत्येक नियोक्ता को किसी भी प्रकार की कटौती करने पर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-समन्वयक को इस प्रकार की कटौती के कारण की व्याख्या करते हुए ऐसी कटौती की तिथि से 10 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।
- (2) सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उप-नियम (1) के अन्तर्गत निरीक्षक-सह-समन्वयक ऐसी सूचना का परीक्षण करेगा तथा यदि सूचना पत्र में दिया गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी भी प्रावधान अथवा इसके अन्तर्गत बने किसी भी नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो वह नियोक्ता के विरुद्ध संहिता के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की पहल करेगा।
17. **धारा 21 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कटौती की प्रक्रिया** :—धारा 21 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी कर्मचारी की मजदूरी से यदि कोई नियोक्ता नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती करने का इच्छुक है, तो वह करेगा,—
- (i) नियोक्ता व्यक्तिगत रूप से लिखित में सामग्री, धन के नुकसान अथवा हानि जिसकी अभिरक्षा के लिए कर्मचारी उत्तरदायी है तथा कर्मचारी की इस तरह की लापरवाही अथवा गलती प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार के नुकसान अथवा हानि में योगदान दी है, के संबंध में कर्मचारी को सूचना देगा; तथा

(ii) इसके पश्चात् नियोक्ता कर्मचारी को इस तरह की कटौती की तिथि से 15 दिनों के भीतर उसे किसी भी प्रकार के नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती के बारे में एक स्पष्टीकरण का अवसर देगा।

18. धारा 23 के अन्तर्गत अग्रिम की वसूली के संबंध में शर्तें :- जैसा भी मामला हो, वसूली -

(i) धारा 23 के खंड (ख) के अन्तर्गत रोजगार शुरू होने के पश्चात् किसी कर्मचारी को अग्रिम रूप में दी गई राशि ; अथवा

(ii) धारा 23 के खंड (ग) के अन्तर्गत किसी कर्मचारी की मजदूरी का अग्रिम पहले से ही अर्जित न हो नियोक्ता द्वारा निर्धारित किशतों में संबंधित कर्मचारी की मजदूरी नियोक्ता द्वारा कटौती की जाएगी ताकि किसी भी मजदूरी अवधि में कोई भी अथवा सभी किशतें कर्मचारी के वेतन से 50प्रतिशत से अधिक न हो तथा प्रपत्र-1 में उल्लिखित रजिस्टर में इस प्रकार की वसूली के बारे में विवरणियों को दर्ज किया जाएगा।

19. धारा 24 के अन्तर्गत कटौती :- केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित घर बनाने अथवा किसी अन्य उद्देश्य से मंजूर ऋण की वसूली हेतु कटौती तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ऐसे ऋणों को प्रदान करने की सीमा के विनियमन हेतु समय-समय पर जारी परिपत्र अथवा बनाए गए दिशा-निर्देशों के अधीन ब्याज दर देय होगी।

अध्याय -IV

बोनस का भुगतान

20. छठें लेखा वर्ष हेतु गणना सैट ऑन अथवा सैट ऑफ :- छठे लेखा वर्ष के लिए धारा 26 की उपधारा (7) के खंड (i) के अन्तर्गत सैट ऑन अथवा सैट ऑफ, जैसा भी मामला हो, अनुसूची-क, में उद्धृत तरीके से आधिक्य अथवा कमी, यदि कोई है तो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखना तथा पाचवें तथा छठें लेखा वर्ष के संबंध में आर्बिट्रिट अधिशेष को सैट ऑन अथवा सैट ऑफ।

21. सातवें लेखा वर्ष हेतु गणना सैट ऑन अथवा सैट ऑफ :-सातवें लेखा वर्ष के लिए धारा 26 की उपधारा (7) के खंड (ii) के अन्तर्गत गणना सैट ऑन अथवा सैट ऑफ, जैसा भी मामला हो, अनुसूची-क, में उद्धृत तरीके से आधिक्य अथवा कमी, यदि कोई है तो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखना तथा छठें एवं सातवें लेखा वर्ष के संबंध में आर्बिट्रिट अधिशेष को सैट ऑन अथवा सैट ऑफ।

22. धारा 32 की उपधारा (क) के अन्तर्गत सकल लाभ की गणना :- बैंकिंग कंपनी के मामले में लेखा वर्ष के संबंध में किसी प्रतिष्ठान से नियोक्ता द्वारा व्युत्पन्न सकल लाभ की गणना अनुसूची (ख) में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

23. धारा 32 के खंड (ख) के अन्तर्गत सकल लाभ की गणना :- बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त मामले में लेखा वर्ष के संबंध में किसी प्रतिष्ठान से नियोक्ता द्वारा व्युत्पन्न सकल लाभ की गणना अनुसूची (ग) में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

24. धारा 34 के खंड (ग) के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की कटौती :- अनुसूची-घ में नियोक्ता के संबंध में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशि को धारा 34 के खंड (ग) के अन्तर्गत पूर्व शुल्क के रूप में सकल लाभ से कटौती की जाएगी।

25. धारा 36 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अग्रेषित करने का तरीका :- जहां किसी भी लेखा वर्ष के लिए धारा 26 के अन्तर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारी को देय अधिकतम अधिलाभ राशि आवंटन योग्य अधिशेष से अधिक है तो उस लेखा वर्ष में अतिरिक्त राशि प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी के कुल वेतन या मजदूरी का 20प्रतिशत की सीमा के अधीन होगी, जिसे उत्तरवर्ती लेखा वर्ष आगे तक के लिए एवं चौथे लेखा वर्ष सहित अनुसूची-क में उद्धृत तरीके से अधिलाभ के उद्देश्य हेतु उपयोग करने के लिए सैट ऑन हेतु अग्रेषित किया जाएगा।

26. धारा 36 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अग्रेषित करने का तरीका :- जहां किसी भी लेखा वर्ष के लिए धारा 26 के अन्तर्गत किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को न्यूनतम देय अधिलाभ राशि वर्ष छोटा होने के संबंध में आवंटन योग्य अधिशेषन अथवा अधिशेष उपलब्ध न होने के स्थिति में तथा नियम 26 के अन्तर्गत सैट ऑन तथा अग्रेषित करने के लिए पर्याप्त राशि अथवा राशि न हो जिसका उपयोग न्यूनतम अधिलाभ के भुगतान के उद्देश्य हेतु किया जा सके तो इस प्रकार की न्यूनतम राशि अथवा कमी जैसा भी मामला हो, को उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में सैट ऑफ तथा आगे तक के लिए एवं चौथे लेखा वर्ष सहित अनुसूची-क में उद्धृत तरीके से अग्रेषित कर दिया जाएगा।

अध्याय -V

मजदूरी पर दिल्ली राज्य सलाहकार बोर्ड

क. धारा 42 की उपधारा (10) के अन्तर्गत दिल्ली राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया

27. बोर्ड का गठन :- (1) बोर्ड के गठन में सरकारी प्रतिनिधि नियोक्ता द्वारा नामित व्यक्ति तथा धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) एवं (ख) में यथाविनिर्दिष्ट कर्मचारी एवं उस उपधारा के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

- (2) धारा 42 की उपधारा (1) के खंड (क) में यथासंदर्भित प्रतिनिधि नियोक्ता व्यक्ति 12 होंगे तथा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति भी उस उपधारा के खंड (ख) में संदर्भित के अनुसार 12 होंगे।
- (3) धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ग) में निर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् :-
- (i) अध्यक्ष;
- (ii) दिल्ली विधानसभा के दो सदस्य;
- (iii) चार सदस्य प्रत्येक जो वेतन एवं श्रम संबंधित मामलों के क्षेत्र में पेशवर हों;
- (iv) एक सदस्य जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क के अन्तर्गत किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी हो अथवा रह चुके हों; तथा
- (v) योजना एवं सांख्यिकी विभाग, कानून एवं न्याय विभाग तथा वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रत्येक से एक प्रतिनिधि।
- (4) सरकार जब बोर्ड के सदस्यों का नामांकन करेगी तो यह बात ध्यान देने योग्य होगी कि उपनियम (3) के अन्तर्गत स्वतंत्र सदस्यों की संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों का एक तिहाई से अधिक नहीं होगी तथा बोर्ड के एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

28. **बोर्ड की बैठक** :- नियम 30 के प्रावधानों के अधीन अध्यक्ष किसी भी समय जो भी उसे उचित लगे बोर्ड की बैठक बुला सकता है। परन्तु यह भी उपबंधित है कि कम से कम आधे सदस्यों से लिखित रूप में मांगे जाने पर अध्यक्ष ऐसी मांग की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाएंगे।

29. **बैठक की सूचना** :- अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तिथि, समय तथा स्थान को नियत करेंगे तथा लिखित रूप में पूर्वोक्त विवरणियों को सम्मिलित करते हुए बैठक में संचालित कार्यों की एक सूची को रजिस्टर पोस्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा ऐसी बैठक हेतु तिथि निर्धारित करने से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे।

30. **मजदूरी पर दिल्ली राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के कार्य**-अध्यक्ष करेगा -

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता :

बशर्ते कि किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्य अपने में से किसी एक को बहुमतों के द्वारा चयन करेंगे जो इस तरह की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची तय करना;

(iii) बोर्ड की बैठक में यदि कोई मामला मतों के द्वारा निर्णित किया जाना है तो मतदान प्रक्रिया को संचालित करना तथा बैठक में गणना अथवा कारण की गोपनीयता बनाये रखना।

31. **कोरम** :- किसी भी बैठक में तब तक कोई भी कार्य निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक तिहाई सदस्य तथा नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के प्रत्येक के कम से कम एक प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित न हो।

परन्तु यह भी उपबंधित है कि यदि किसी बैठक में एक तिहाई से कम सदस्य उपस्थित है तो अध्यक्ष मूल बैठक की तिथि से सात दिनों तक बैठक को स्थगित कर सकता है एवं ऐसी स्थगित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति को महत्व दिए बिना कार्यों का निपटान करना न्यायसंगत माना जाएगा।

आगे यह भी उपबंधित है कि ऐसी स्थगित बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट (डाक) द्वारा सूचित किया जाएगा।

32. **बोर्ड के कार्यों का निपटान** :- बोर्ड के सभी कार्यों पर बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा तथा उपस्थित सदस्यों के मतदान के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा एवं समान मत प्राप्त करने की दिशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

परन्तु यह भी उपबंधित है कि यदि अध्यक्ष उचित समझे तो कोई भी मामला आवश्यक दस्तावेजों के प्रसार तथा सदस्यों की लिखित राय को सुरक्षित करके भी निर्णित किया जाएगा।

33. **मतदान की पद्धति** :- बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ दिखाकर किया जाएगा, लेकिन यदि कोई सदस्य मतपत्र के द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष मतपत्र द्वारा मतदान का निर्णय लें तो मतदान गोपनीय मतपत्र द्वारा तथा अध्यक्ष द्वारा निर्णित तरीके के अनुसार कराया जाएगा।

34. **बैठक की कार्यवाही** :- (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही में अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नामों को बैठक के पश्चात् यथा संभव तथा जैसा भी मामला हो, अगली बैठक होने से पूर्व कम से कम 7 दिनों के भीतर यथाशीघ्र प्रत्येक सदस्य तथा सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को इस प्रकार के आशोधन, यदि कोई है तो, के साथ पुष्ट किया जाएगा जैसा कि अगली बैठक में आवश्यक समझा जाए।

35. **गवाहों को बुलाना तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति** :- (1) अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को यदि अपेक्षित हो तो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बुला सकता है तथा अपेक्षित होने पर किसी भी व्यक्ति को प्रमाण प्रस्तुत करने को कह सकता है।

(2) बोर्ड के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यय हेतु उस समय लागू स्तर के अनुसरण में भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे तथा ऐसे भुगतान गवाहों को सिविल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने से पूर्व किया जाएगा।

36. **समितियों की नियुक्ति** :- सरकार धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत इस खंड में विनिर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु, जैसा वह आवश्यक समझे, कई समितियों का गठन कर सकती है।

(क) **धारा 42 की उपधारा (11) के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्यों की पदावधि।**

37. **बोर्ड के सदस्यों की पदावधि** :- धारा 42 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अध्यक्ष अथवा सदस्य की पदावधि, जैसी भी स्थिति हो, उनकी नियुक्ति अथवा नामांकन की तिथि से सामान्यतः प्रारंभिक दो वर्षों की होगी।

(1) परन्तु यह भी उपबंधित है कि ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य दो वर्षों की उक्त निर्णायक तिथि के पूर्ण होने के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन, जैसा भी मामला हो, न हो जाए।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामित बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य उस व्यक्ति की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नामित किया जाता है।

(3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य पद पर तब तक बने रहेंगे, जब तक उन्हें संबंधित ऐसे अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।

(4) बोर्ड के सदस्य उप-नियम (1), (2) और (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद सरकार के पर्यन्त पद धारण करेंगे।

38. **यात्रा भत्ता** :- बोर्ड का अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्य के संबंध में की गई किसी भी यात्रा के लिए यात्रा एवं ठहरने का भत्ता पाने के हकदार होंगे तथा भत्ते की दर केन्द्र सरकार के समूह-अ के अधिकारी के लिए लागू शर्तों के अधीन होगी।

39. **अधिकारी एवं कर्मचारी** :- सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बोर्ड के लिए जैसा वह आवश्यक समझे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु एक सचिव, जो सरकार में संयुक्त पद से नीचे का न हो, नियुक्त कर सकती है।

40. **बोर्ड के सदस्यों के पुनः नामांकन के लिए पात्रता** :- निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए पुनः नामांकन हेतु कुल दो कार्यकाल से अधिक के लिए पात्र नहीं होंगे।

41. **बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र** :-

(1) अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड के अन्य सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में सूचना देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा अध्यक्ष, सरकार को संबोधित पत्र द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है।

(2) त्यागपत्र अपनी स्वीकृति की सूचना की तिथि या त्यागपत्र की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होती है या होने की संभावना होती है, अध्यक्ष तत्काल सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और सरकार फिर संहिता के प्रावधानों के अनुसरण में रिक्ति को भरने के लिए कदम उठाएगी।

42. **सदस्यता की समाप्ति** :- यदि बोर्ड का कोई भी सदस्य अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

43. **अयोग्यता** :- कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने एवं मनोनीत किए जाने के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा :-

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा असंतुलित मानसिकता वाला घोषित किया जाता है, या

(ii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, या

(iii) यदि संहिता के शुरु होने के पहले या बाद में उसे नैतिक अधमता में संलग्न अपराध के लिए दोषी माना गया है।

(2) यदि उपनियम (1) के तहत उसकी अयोग्यता पर प्रश्न उठता है तो उस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा।

अध्याय –VI

देय राशि, दावों आदि का भुगतान

44. धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत भुगतान :- जहां संहिता के अंतर्गत किसी कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु के पश्चात् या उसके ठिकाने की जानकारी नहीं होने के कारण बकाया है और देय राशि की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक कर्मचारी के नामित को भुगतान नहीं किया जाता है, तब ऐसी राशि नियोक्ता द्वारा संयुक्त/उप-श्रमायुक्त के अधिकार क्षेत्र में जमा की जाएगी जो कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के बाद जिस तिथि को राशि जमा की गई थी उसके दो महीने के भीतर राशि वितरित करेगा।
45. धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत असंवितरित देय राशि को जमा करना :-
- (1) जहां किसी कर्मचारी को देय कोई राशि इस संहिता के अन्तर्गत असंवितरित है क्योंकि या तो ऐसे कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं किया गया है या किसी अन्य कारण से ऐसी राशि की तिथि से छह महीने की समाप्ति तक कर्मचारी के नामित को भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी सभी राशि नियोक्ता द्वारा छह महीने की उक्त अवधि के अंतिम दिन के बाद पंद्रह दिन की समाप्ति से पहले संयुक्त/उप-श्रमायुक्त के अधिकार क्षेत्र के पक्ष में जमा की जाएगी।
 - (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि नियोक्ता द्वारा संयुक्त/उप-श्रमायुक्त के अधिकार क्षेत्र में बैंक हस्तांतरण या भारत में अनुसूचित किसी भी बैंक से प्राप्त एक क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संयुक्त/उप-श्रमायुक्त के पक्ष में जमा की जाएगी।
46. धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत असंवितरित देय से निपटने का तरीका :-
- (1) संयुक्त/उप-श्रमायुक्त के अधिकार क्षेत्र में जमा राशि नियम 45 के उप-नियम (1) में संदर्भित राशि (इसके बाद इस नियम में संदर्भित राशि के रूप में) उसके पास रहेगी और उसे केन्द्र या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की जाएगी या अनुसूचित बैंक में सांविधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।
 - (2) संयुक्त/उप-श्रमायुक्त अधिकार क्षेत्र में, राशि के संबंध में ऐसे विवरणों को समाविष्ट करते हुए, जिसे वह सूचना बोर्ड पर कम से कम पन्द्रह दिनों के लिए या सूचना के प्रसार हेतु पर्याप्त समझे, तक के लिए संभवतः शीघ्रातिशीघ्र प्रदर्शित करेगा और ऐसी सूचना जिसमें असंवितरित मजदूरी अर्जित की गई थी, को उस क्षेत्र में समझी जाने वाली आम भाषा में प्रसारित किन्हीं दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेगा।
 - (3) उपनियम (4) के प्रावधानों के अधीन संयुक्त/उप-श्रमायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नामित व्यक्ति को या उस व्यक्ति को, जिसने ऐसी राशि का दावा किया है, जैसा भी मामला हो, राशि जारी करेगा, जिसके पक्ष में संयुक्त/उप-श्रमायुक्त ने सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि का निर्णय लिया।
 - (4) यदि असंवितरित राशि सात वर्ष की अवधि के लिए दावा रहित रहती है, तो उस राशि को दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड में या वैकल्पिक रूप से सरकार द्वारा यथानिर्णीत जमा कर दिया जाएगा।

अध्याय –VII

प्रपत्र, रजिस्टर एवं वेतन पर्ची

47. एकल आवेदन का प्रपत्र :- धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत एकल आवेदन प्रपत्र-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ ऐसे प्रपत्र भरे जाए।
48. अपील :- धारा 45 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उपधारा (1) के अंतर्गत फार्म-III में ऐसे प्रपत्र सहित अपीलकर्ता द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों के साथ अधिकारिकता वाले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने को प्राथमिकता दी जाए।
49. प्रपत्र रजिस्टर, आदि :- (1) धारा 19 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट सभी जुमाने एवं वसूली नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में इन नियमों के साथ संलग्न फार्म में, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में दर्ज की जाएगी तथा उक्त उपनियम (8) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिकारिकता वाले संयुक्त/उप-श्रमायुक्त होंगे।
- (2) धारा 21 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी कटौती एवं वसूली नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में, इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-I में इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में दर्ज की जाएगी।
 - (3) किसी भी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता, जिस पर संहिता लागू होती है, वह धारा 50 की उपधारा (1) के तहत प्रपत्र-I एवं प्रपत्र-IV में इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में रजिस्ट्रों को संभाल कर रखेगा।
50. वेतन पर्ची :- प्रत्येक नियोक्ता वेतन का भुगतान करने पर या उससे पहले धारा-50 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रपत्र-V में इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में वेतन-पर्ची जारी करेगा।
51. धारा 53 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जांच करने का तरीका :- (1) जब धारा 53 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी (इसके बाद इस नियम में अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है) के समक्ष उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में शिकायत या तो सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्य के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा या पीड़ित कर्मचारी या ट्रेड

यूनियन अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत किसी ट्रेड यूनियन या निरीक्षक-सह समन्वयक द्वारा दर्ज की जाती है, तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए ऐसे सबूतों पर विचार करने के बाद, राय बनाता है कि अपराध किया गया है तब वह अपराधी को शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर उसकी उपस्थिति की तिथि तय करने के लिए सम्मन जारी करेगा।

- (2) यदि अपराधी जिसको उप-नियम (1) के तहत सम्मन जारी किया गया है या उसे अधिकारी के समक्ष पेश या उपस्थित होने के लिए कहा गया है, तो वह अपराधी के खिलाफ दर्ज अपराधों की व्याख्या करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार कर लेता है तो अधिकारी संहिता के प्रावधानों के अनुसार उस पर जुर्माना लगाएगा और जब अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है तो अधिकारी शपथ पर शिकायतकर्ता द्वारा पेश गवाहों के साक्ष्य लेगा, और इस प्रकार पेश किए गए गवाहों को प्रतिपरीक्षित के अवसर प्रदान करेगा। अधिकारी शपथ पर गवाहों के बयानों को तथा लिखित रूप में प्रतिपरीक्षित एवं दस्तावेजी प्रमाण को अभिलेखबद्ध करेगा।
 - (3) अधिकारी, शिकायतकर्ता के सबूत पूरे होने के पश्चात् आरोपी व्यक्ति को बचाव का अवसर प्रदान करेगा और शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पर आरोपी द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयानों के पश्चात् प्रतिपरीक्षित किया जाएगा तथा अधिकारी द्वारा बचाव में पेश दस्तावेजी प्रमाण को अभिलेखबद्ध किया जाएगा।
 - (4) अधिकारी पक्षों की सुनवाई करने तथा दोनों मौखिक एवं दस्तावेजी प्रमाणों पर विचार करने के पश्चात् संहिता के प्रावधानों के अनुसार शिकायत का निर्णय करेगा।
52. **धारा 56 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जुर्माना लगाने का तरीका :-** (1) धारा 56 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपराध में संलिप्त दोषी व्यक्ति उक्त उपधारा (1)के अन्तर्गत अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्रपत्र-VI में इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में आवेदन कर सकता है।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी, ऐसे आवेदनों की प्राप्ति पर स्वयं को संतुष्ट करेगा कि संहिता के अन्तर्गत अपराध संयोजनीय है या नहीं और यदि अपराध संयोजनीय है तथा आरोपी व्यक्ति अपराध के संयोजन से सहमत है तो अपराध के समाधान के लिए संहिता के अन्तर्गत ऐसे अपराधों के लिए लगाए गए अधिकतम जुर्माने का कुल पचास प्रतिशत, ऐसे अधिकारी द्वारा जारी संयोजन के आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आरोपी द्वारा भुगतान किया जाए।
 - (3) जहां अभियोजन की व्यवस्था के पश्चात् उप-नियम (2) के अन्तर्गत अपराध का समाधान किया गया है, तब अधिकारी धारा 56 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाई हेतु धारा 53 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को सूचना देने के लिए स्वयं द्वारा बनाए ऐसे आदेश की एक प्रति भेजेगा।

अध्याय -VIII

विविध

53. **वेतन का समय पर भुगतान :-** जहां कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत है, तो कंपनी या फर्म या संघ या कोई अन्य व्यक्ति जो प्रतिष्ठान का मालिक है, जैसा भी मामला हो, वेतन के भुगतान की तारीख से पहले, वह कर्मचारियों की देय राशि का भुगतान ठेकेदार को करेगा, ताकि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान धारा 17 के प्रावधानों के अनुसरण में सकारात्मक रूप से किया जाए।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ, फर्म पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय सहभागिता अधिनियम, 1932 (1932 के 9) में इसका अभिप्राय है।

54. **न्यूनतम लाभांश के भुगतान का उत्तरदायित्व :-**जहां कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत है तथा ठेकेदार धारा 26 के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में विफल रहता है, तो कंपनी या फर्म या संघ एवं अन्य व्यक्ति जैसा धारा 43 के परन्तुक में निर्दिष्ट है, कर्मचारियों या किसी पंजीकृत व्यापार संघ या जिस संघ के वे सदस्य हैं, इस प्रकार की विफलता की सूचना लिखित रूप में देने तथा उसकी पुष्टि होने पर, उन्हें न्यूनतम लाभांश का भुगतान करेगा।

55. **निरीक्षण योजना :-** (1) संहिता और इन नियमों के प्रयोजनार्थ, अधिनियम में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सरकार के अनुमोदन से श्रम आयुक्त द्वारा एक निरीक्षण योजना तैयार की जा सकती है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण योजना में अन्य संरचनात्मक तथ्यों के अलावा योजना में प्रत्येक निरीक्षक-सह-समन्वयक एवं प्रतिष्ठान के लिए एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश एवम् नाम से,
एस.सी.यादव, अतिरिक्त सचिव (श्रम)

प्रपत्र-I
(नियम-19 और नियम-49(1), (2) तथा (3) देखें)

मजदूरी, ओवरटाइम, जुर्माना, क्षति और हानि के लिए कटौती संबंधी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम :

नियोक्ता/मालिक का नाम :

नियोक्ता का पैन/टैन :

कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम/ विभाग	मजदूरी भुगतान की अवधि (मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/दैनिक/मजदूरी भुगतान)	वेतन से --- तक	अवधि के दौरान काम किए गए दिनों की कुल संख्या	कुल ओवरटाइम (मजदूरी भुगतान प्रणाली के अधीन श्रमिकों के मामले में घंटे पर किए गए कार्य या उत्पादन)	मजदूरी की दर		
							वेतन	महंगाई भत्ता	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ओवरटाइम आय	कृत्यों और चूकों की प्रकृति जिसके लिए दिनांक पर जुर्माना लगाया गया है।	लगाए गए जुर्माने की राशि	कर्मचारी की उपेक्षा या चूक से नियोक्ता को हुई क्षति या हानि	मजदूरी से कटौती की राशि	भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि	भुगतान की तिथि	तिथि

(बैंक हस्तांतरण के माध्यम से वेतन दिए जाने पर भी प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से संरक्षित किया जाए)।

फार्म II
(नियम 47 देखें)
(धारा 45 की उप-धारा (5) के तहत एकल आवेदन)

वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष
----- के लिये क्षेत्र-----

आवेदन संख्या -----20 का

अ, ब, स और (संख्या बताएं) के मध्य ----- अन्य-----आवेदक

(संबंधित कर्मचारियों या पंजीकृत व्यापार संघ अथवा निरीक्षक-सह-समन्वयक के माध्यम से)
पता-----

और

-----एक्सवाईजेड

पता-----

आवेदन निम्नानुसार निर्दिष्ट करता है:

(1) आवेदक(को) जिनका/जिनके नाम (मों) को संलग्न अनुसूची में दिया गया था/है को दिनांक -----से ----- तक श्रेणी ----- के रूप में ----- प्रतिष्ठान ----- में कार्यरत श्री/सुश्री -----(कार्य की प्रकृति) ----- जिन्हे मजदूरी/वेतन संहिता 2019 द्वारा सम्मिलित किया जाता है/हैं।

(2) प्रतिवादी वेतन संहिता, 2019 की धारा 2(1) के अर्थ में नियोक्ता है/हैं।

(3) (क) आवेदक (कों) को ----- से ----- तक की अवधि के लिए -----रुपये प्रतिदिन संहिता के तहत उनकी श्रेणी (श्रेणियों) के रोजगार (रोजगारों) के लिए निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम पर मजदूरी का भुगतान किया गया है।

(क) आवेदक(कों) को विश्राम के साप्ताहिक दिनों के लिए ----- प्रति दिन की दर से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) आवेदक (कों) को -----से----- की अवधि के लिए ओवरटाइम दर (दरों) पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) आवेदक (कों) को ----- से ----- की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) इस आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार आवेदक (कों) के मजदूरी (यों) से कटौती की गई है जो संहिता के उल्लंघन में हैं।

(ङ) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष -----के लिए न्यूनतम अधिलाभ का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक (कों) का अनुमान है कि प्रत्येक राशि पर उसके/उनके द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार है :

(क) रुपये -----

(ख) रुपये -----

(ग) रुपये -----

कुल रुपये-----.

(5) इसलिए आवेदक (कों), अनुरोध करता है/हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45(2) के अन्तर्गत निर्देश जारी किया जाए;

(क) संहिता के तहत देय मजदूरी तथा वास्तविक देय मजदूरी के मध्य अंतर का भुगतान,

(ख) विश्राम के दिनों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान

(ग) ओवरटाइम दरों पर मजदूरी का भुगतान,

(घ) मुआवजे की राशि रुपये -----

(6) आवेदक एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित तथ्य उसके/उनके ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक -----

नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों), या विधिवत् प्राधिकृत पंजीकृत व्यापार संघ के अधिकारी या इंस्पेक्टर-सह-समन्वयक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

नोट : आवेदक, यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन के साथ विवरण युक्त अनुलग्नक संलग्न कर सकते हैं।

प्रपत्र III
(नियम 48 दखें)

मजदूरी संहिता, 2019 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अन्तर्गत याचिका

क. ख. ग.

पता ----- अपीलकर्ता

बनाम

ग. घ. ङ

पता -----प्रतिवादी

याचिका का विवरण :

1. उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है :
संख्या और तारीख :
वह प्राधिकारी जिसने आक्षेपित आदेश पारित किया है :
प्रदान की गई राशि :
प्रदान किया गया मुआवजा, यदि कोई हो :
2. मामले के तथ्य :
(यहाँ एक कालानुक्रमिक क्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक परिच्छेद में यथासंभव एक अलग मुद्दा या तथ्य निहित है।)
3. अपील के लिए आधार :
4. किसी अन्य न्यायालय या किसी अपीलीय प्राधिकारी के पास पहले से दायर या लंबित मामले नहीं :

आगे याचिकाकर्ता घोषणा करता है कि उसने पहले किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इस मामले के संबंध में कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा दायर नहीं किया है और न ही ऐसी कोई याचिका, रिट याचिका या मुकदमा इनमें से किसी के समक्ष लंबित है।

5. मांगी गई राहत :
उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत(राहतों) के लिए अनुरोध करता है :
— (नीचे मांगी गई राहत (राहतों) को निर्दिष्ट करें)
6. संलग्नकों की सूची :
1.
2.
3.
4.

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय उपयोगार्थ

याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर

दर्ज करने की तिथि या
डाक द्वारा प्राप्ति की तिथि पंजीकरण संख्या

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रपत्र IV
(नियम 49 देखें)
कर्मचारी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम :
नियोक्ता/मालिक का नाम :

नियोक्ता का पैन/टैन :

क्र. सं.	कर्मचारी कोड	नाम	उपनाम	लिंग	पिता/पति/पत्नी का नाम	जन्म-तिथि	राष्ट्रीयता	शैक्षणिक स्तर	कार्यग्रहण की तिथि	पदनाम	श्रेणी एचएस/एसएसयूएस)	रोजगार का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मोबाइल संख्या	यूएन	पैन	ईएसआईसी आईपी सं०	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक	शाखा (आईएफएससी)	वर्तमान पता	स्थायी पता
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

सेवा पुस्तिका संख्या	छोड़ने की तिथि	छोड़ने का कारण	पहचान चिह्न	फोटो	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	अभ्युक्तियां
24	25	26	27	28	29	30

*(अति कुशल/कुशल/अर्द्ध कुशल/अकुशल)

प्रपत्र V
(नियम 50 देखें)
वेतन पर्ची

जारी करने की तारीख :

प्रतिष्ठान का नाम----- पता-----

1. कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति/पत्नी का नाम :
3. पदनाम :
4. यूएन :
5. बैंक खाता संख्या :
6. वेतन अवधि :
7. देय मजदूरी की दर : क.) मूल ख.) महंगाई भत्ता ग.) अन्य भत्ते
8. कुल उपस्थिति/ किए गए कार्य की मात्रा :
9. ओवरटाइम मजदूरी :
10. देय सकल मजदूरी :
11. कुल कटौतियां : क) पीएफ ख) ईएसआई ग) अन्य
12. भुगतान की गई कुल मजदूरी :

नियोक्ता/ वेतन प्रभारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र VI

(नियम 52 देखें)

अपराध के कृत्य के लिए धारा 56 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति/पत्नी का नाम :
3. आवेदक का पता :
4. अपराध का विवरण : -----

5. संहिता की धारा जिसके अन्तर्गत अपराध किया गया है : -----
6. संहिता के अन्तर्गत अपराध के लिए प्रदान किया गया अधिकतम जुर्माना :-----
7. क्या आवेदक के विरुद्ध अभियोजन लम्बित है या नहीं -----
8. क्या अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हाँ, तो पूर्व अपराध का पूर्ण विवरण दें।

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है -----

दिनांक :

आवेदक (नाम और हस्ताक्षर)

अनुसूची-क

(नियम 20, 21, 25 और 26 देखें)

इस अनुसूची में सभी कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन या मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल राशि 1,04,167 रुपये मान ली गई है। तदनुसार, अधिकतम बोनस जिसमें सभी (सभी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन या मजदूरी का बीस प्रतिशत) 2,50,000 रुपये का भुगतान करने के हकदार होंगे।

वर्ष	बोनस के रूप में आवंटनीय अधिशेष की उपलब्धता का 60प्रतिशत या 67प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, के बराबर राशि	बोनस के रूप में देय राशि	वर्ष का अग्रणीत सैट ऑन या सैट ऑफ	कुल अग्रणीत सैट ऑन या सैट ऑफ	
1	2	3	4	5	6
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	(वर्ष)
1.	1,04,167	1,04,167**	शून्य	शून्य	
2.	6,35,000	2,50,000*	2,50,000* सैट ऑन	2,50,000* सैट ऑन	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (वर्ष 2 से 30,000)	शून्य	2,20,000 सैट ऑन	(2)

		सहित)			
4.	3,75,000	2,50,000*	1,25,000 चालू (सैट ऑन)	2,20,000 1,25,000 सैट ऑन	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (वर्ष 2 से 1,10,000 सहित)	शून्य	1,10,000 चालू	(2)
				1,25,000	(4)
6.	3,10,000	2,50,000*	60,000 सैट ऑन	सैट ऑन शून्य + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (वर्ष 4 से 1,25,000 और वर्ष 6 से 25,000 सहित)	शून्य	35,000 सैट ऑन	(6)
8.	शून्य	1,04,167** (वर्ष 6 से 35,000 शामिल)	सैट ऑफ	सैट ऑफ	
	(नुकसान के कारण)		69,167	69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	सैट ऑफ 94,167	सैट ऑफ 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167'' (वर्ष -8 से 69,167 और वर्ष-9 से 41,666 का समायोजन करने के बाद)	शून्य	सैट ऑफ 52,501	(9)

टिप्पणियाँ:-

* अधिकतम

+ वर्ष 2 में व्यपगत से 1,10,000/-रुपये की शेष राशि

** न्यूनतम

अनुसूची-ख
सकल लाभ की गणना
(नियम 22 देखें)
..... को समाप्त होने वाला
लेखांकन वर्ष

मद संख्या	विवरण	उप मदों की राशि	मुख्य मदों की राशि	टिप्पणियां
		रुपये	रुपये	
*1.	सामान्य और आवश्यक प्रावधान करने के बाद लाभ और हानि खाते में दिखाया गया शुद्ध लाभ।			
2.	इसके लिए प्रावधान वापस जोड़ें: (क) कर्मचारियों को बोनस (ख) अवमूल्यन (ग) विकास छूट आरक्षिति (घ) कोई अन्य आरक्षिति मद संख्या 2 का योग-----	-----रुपये		पाद टीप देखें (1) पाद टीप देखें (1)
3.	वापस भी जोड़ें : (क) पूर्व लेखा वर्षों के संबंध में कर्मचारियों को दिया गया बोनस। (कक) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान अथवा कुल जमा के आधिक्य के संबंध में नामे (डेबिट) की गई राशि - (i) अनुमोदित ग्रेच्युटी कोष को भुगतान हेतु उपलब्ध अथवा देय राशि, यदि कोई है तो; तथा (ii) कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर या किसी भी कारण से उनके रोजगार की समाप्ति पर वास्तव में भुगतान की गई राशि। (ख) आयकर के लिए स्वीकार्य राशि से अधिक दान। (ग) पूंजीगत व्यय (वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय के अलावा जो प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी भी कानून जो उस समय प्रवृत्त हैं, के तहत कटौती के रूप में अनुमत है), के अतिरिक्त और पूंजीगत हानि (पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर नुकसान के अलावा, आयकर अथवा कृषिगत आयकर हेतु अवमूल्यन अनुमत है)। (घ) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानि या उससे संबंधित व्यय। मद संख्या 3 का कुल योग-----	-----रुपये		
4.	इसके अलावा वह आय लाभ या वे लाभ (यदि कोई हो), को प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित या प्रकटित			

	<p>आरक्षित खाते में जमा करें,</p> <p>(i) पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत लाभ (इस तरह के अवमूल्यन पर पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर लाभ सहित आयकर के लिए अनुमति नहीं दी गई है);</p> <p>(ii) भारत के बाहर स्थित किसी भी व्यवसाय का लाभ और उससे संबंधित प्राप्तियां;</p> <p>(iii) भारत के बाहर निवेश से विदेशी बैंकिंग कंपनियों की आय।</p> <p>मद संख्या 4 का कुल योग -----</p>	-----रुपये		
5.	मद संख्या 1,2,3 एवं 4 का कुल योग -----	-----रुपये		
6.	<p>कटौती :</p> <p>(क) पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत लाभ (संपत्ति की बिक्री पर लाभ के अलावा जिस पर अवमूल्यन आयकर के लिए अनुमति दी गई है)।</p> <p>(ख) भारत के बाहर स्थित किसी भी व्यवसाय से संबंधित लाभ और प्राप्तियां।</p> <p>(ग) भारत के बाहर निवेश से विदेशी बैंकिंग कंपनियों की आय।</p> <p>(घ) इसके अलावा, व्यय या हानि (यदि कोई हो) को प्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित या प्रकटित आरक्षित से पूरा किया जाएगा-</p> <p>(i) पूंजीगत व्यय और पूंजीगत हानियां (पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर हानियों के अलावा, जिस पर आयकर के लिए अवमूल्यन की अनुमति नहीं है);</p> <p>(ii) भारत के बाहर स्थित किसी भी व्यवसाय की हानि।</p> <p>(ङ) विदेशी बैंकिंग कंपनियों के मामले में भारतीय व्यापार को आवंटित मुख्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (उपरी व्यय) व्यय।</p> <p>(च) पूर्व लेखा वर्षों के लिए भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर की वापसी और अधिलाभ, अवमूल्यन या विकास छूट से संबंधित पिछले लेखांकन वर्षों में से कोई भी अतिरिक्त प्रावधान, यदि पुनः प्रविष्टि की गई हो।</p> <p>(छ) नकद सहायता राशि, यदि कोई हो, सरकार द्वारा या किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा स्थापित किसी भी कानून जो उस समय प्रवृत्त है के द्वारा या किसी अन्य आय एजेंसी द्वारा बजटीय अनुदान के माध्यम से, चाहे वह सीधे या किसी एजेंसी के</p>	-----रुपये		<p>पाद टीप देखें (2)</p> <p>पाद टीप देखें (2)</p> <p>पाद टीप देखें (2)</p> <p>पाद टिप्पणी देखें (2)</p> <p>पाद टीप देखें (2)</p> <p>पाद टीप देखें (2)</p>

	माध्यम से निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए दी गई हो और जो ऐसे उद्देश्यों के लिए आरक्षित हैं। मद संख्या 6 का कुल योग -----			
7.	बोनस के प्रयोजनार्थ सकल लाभ (मद संख्या 5 घटा मद संख्या 6)	-----रुपये		

स्पष्टीकरण : मद 3 की उप-मद (ख) में, "अनुमोदित उपदान निधि" का वही अर्थ है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

*जहां कराधान के अधीन लाभ और हानि खाते में और आय पर करों के लिए किए गए प्रावधान को दिखाया गया है, ऐसी आय पर करों के वास्तविक प्रावधान को लाभ से घटाया जाएगा।

पाद टीप :-

- (1) यदि, उस सीमा तक, लाभ और हानि खाते के लिए प्रभारित है।
- (2) यदि, उस सीमा तक, लाभ और हानि खाते में जमा किए जाते हैं।
- (3) कुल विश्व सकल लाभ के अनुपात में भारतीय सकल लाभ (मद संख्या 7) के (केवल उपरोक्त मद संख्या 2 में समायोजित समेकित लाभ और हानि खाते के अनुसार)।

अनुसूची-ग

सकल लाभ की गणना

(नियम 23 देखें)

समाप्त होने वाला लेखा वर्ष -----

मद संख्या	विवरण	उप मदों की राशि	मुख्य मदों की राशि	टिप्पणियां
		रुपये	रुपये	
1.	लाभ और हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ।			
2.	इसके लिए प्रावधान वापस जोड़ें: (क) कर्मचारियों को अधिलाभ (ख) अवमूल्यन (ग) पूर्व लेखा वर्ष हेतु, प्रत्यक्ष कर सहित प्रावधान (यदि कोई है तो) (घ) विकास छूट/निवेश भत्ता/विकास भत्ता आरक्षित (ड.) कोई अन्य आरक्षित मद संख्या 2 का कुल योग-----	-----रुपये		पाद टीप (1) देखें पाद टीप (1) देखें
3.	वापस भी जोड़ें : (क) पूर्व लेखा वर्षों के संबंध में कर्मचारियों को दिया गया बोनस। (कक) कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान अथवा कुल के अधिक्य के संबंध में निकाली गई राशि - (i) स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड को भुगतान हेतु उपलब्ध या देय राशि, यदि कोई हो; तथा			पाद टीप (1) देखें

	<p>(ii) कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर या किसी भी कारण से उनके रोजगार की समाप्ति पर वास्तव में भुगतान की गई राशि।</p> <p>(ख) आयकर के लिए स्वीकार्य राशि से अधिक दान।</p> <p>(घ) पूंजीगत व्यय (वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय के अलावा जो प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी भी कानून के तहत कटौती के रूप में अनुमत है) और पूंजीगत हानि (पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर नुकसान के अलावा, जिस पर अवमूल्यन किया गया है) आयकर के लिए अनुमति दी गई है।</p> <p>(ङ) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानि या उससे संबंधित व्यय।</p> <p>कुल मद संख्या 3 -----</p>	-----रुपये		
4.	<p>इसके अलावा— आय, लाभ या अधिलाभ भी जोड़े (यदि कोई हो तो) जो आरक्षित खाते में सीधे जमा किए गए हैं,</p> <p>(i) पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत लाभ (पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर लाभ सहित, जिस पर आयकर या कृषि आयकर के लिए अवमूल्यन अनुमेय नहीं है);</p> <p>(ii) भारत के बाहर स्थित किसी भी व्यवसाय का लाभ और उससे संबंधित प्राप्तियां;</p> <p>(iii) भारत के बाहर निवेश से विदेशी कंपनियों की आय।</p> <p>मद संख्या 4 का कुल योग -----</p>	-----रुपये		
5.	कुल मद संख्या 1, 2, 3 एवं 4 -----	-----रुपये		
6.	<p>कटौती :</p> <p>(क) पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत लाभ (संपत्तियों की बिक्री पर लाभ के अलावा जिस पर आयकर या कृषि आयकर के लिए अवमूल्यन की अनुमति दी गई है।)</p> <p>(ख) भारत के बाहर स्थित किसी भी व्यवसाय से संबंधित लाभ और प्राप्तियां।</p> <p>(ग) भारत के बाहर निवेश से विदेशी कंपनियों की आय।</p> <p>(घ) इसके अलावा व्यय या हानि (यदि कोई हो) को प्रत्यक्ष रूप से आरक्षित खाते से पूरा किया गया है —</p> <p>(i) पूंजीगत व्यय एवं पूंजीगत हानि (पूंजीगत संपत्ति की बिक्री पर हानि के अलावा, जिस पर आयकर</p>			<p>पाद टीप (2) देखें</p> <p>पाद टीप (2) देखें</p> <p>पाद टीप (2) देखें</p>

	<p>या कृषि आयकर के लिए अवमूल्यन की अनुमति नहीं है);</p> <p>(ii) भारत के बाहर स्थित किसी भी व्यवसाय की हानि।</p> <p>(ड) विदेशी कंपनियों के मामले में भारतीय व्यापार के लिए आवंटित मुख्य कार्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (अतिरिक्त) खर्च।</p> <p>(च) पिछले लेखांकन वर्षों के लिए भुगतान किए गए किसी भी प्रत्यक्ष कर की वापसी और बोनस, मूल्यह्रास, कराधान या विकास छूट या विकास भत्ता से संबंधित पिछले लेखांकन वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई हो, यदि वापस लिखा गया हो।</p> <p>(छ) पिछले लेखांकन वर्षों के लिए भुगतान किए गए किसी भी प्रत्यक्ष कर की वापसी और बोनस, मूल्यह्रास, कराधान या विकास छूट या विकास भत्ता से संबंधित पिछले लेखांकन वर्षों के, यदि कोई हो, अतिरिक्त प्रावधान हो, जिसके प्रतिलेखन किया गया हो।</p> <p>(ज) नकद सहायता राशि, यदि कोई हो, तो ऐसे उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट सरकार द्वारा स्थापित या किसी निकाय में, उस समय के लिए लागू, किसी भी कानून या किसी अन्य एजेंसी द्वारा बजटीय अनुदान के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष रूप में या किसी एजेंसी के माध्यम से दी गई जिसकी आय ऐसे उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।</p> <p>कुल मद संख्या 6 -----</p>	-----रुपये		<p>पाद टीप (3) देखें</p> <p>पाद टीप (2) देखें</p>
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद संख्या 5 घटा मद संख्या 6)	-----रुपये		

स्पष्टीकरण : मद 3 की उप-मद (एए) में, "अनुमोदित उपदान निधि" का वही अर्थ है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में निर्दिष्ट किया गया है।

पाद टोप :-

- (1) यदि, और जिस सीमा तक, लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- (2) यदि, और जिस सीमा तक, लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।
- (3) कुल विश्व सकल लाभ के लिए भारतीय सकल लाभ (मद संख्या 7 क) के समानुपात में (उपरोक्त केवल मद संख्या 2 में यथासमायोजित समेकित लाभ और हानि खाते के अनुसार)।

अनुसूची घ
(नियम 24 देखें)

मद संख्या	नियोक्ता की श्रेणी	अतिरिक्त राशि जिनकी कटौती की जानी है
1	एक बैंकिंग कंपनी से भिन्न कंपनी	(i) लेखा वर्ष के लिए इसकी वरीयता शेयर पूंजी पर देय लाभांश की वास्तविक दर पर गणना की जाती है जिस दर पर ऐसे लाभांश देय हैं; (ii) लेखा वर्ष के आरंभ में इसकी भुगतान की जाने वाली प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 8.5 प्रतिशत;

		<p>(iii) पूर्व लेखा वर्ष से किसी भी अग्रनित लाभ सहित, लेखा वर्ष के आरंभ में इसकी बैलेंस शीट में दिखाए गए आरक्षितियों का 6 प्रतिशत :</p> <p>बशर्ते कि जहां नियोक्ता कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (42) के अर्थ में एक विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कटौती की जानी है, वे कुल राशि का 8.5 प्रतिशत होगी जो भारत में उस कंपनी की शुद्ध निर्धारित परिसंपत्तियों तथा चालू देयताओं की रुपये की (कंपनी द्वारा अपने मुख्य कार्यालय को देय के रूप में दिखाई गई किसी भी राशि के अलावा, चाहे मुख्य कार्यालय द्वारा किए गए किसी भी अग्रिम या किसी अन्य रूप में या किसी भी ब्याज के लिए कंपनी द्वारा अपने मुख्य कार्यालय को भुगतान किया जाता है) कटौती करने के पश्चात् है।</p>
2	बैंकिंग कंपनी	<p>(i) लेखा वर्ष के लिए इसकी वरीयता शेयर पूंजी पर देय लाभांश की गणना उस दर पर की जाती है जिस दर पर ऐसे लाभांश देय होते हैं;</p> <p>(ii) लेखा वर्ष को आरंभ में इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 7.5 प्रतिशत;</p> <p>(iii) पूर्व लेखा वर्ष से किसी भी अग्रनित लाभ सहित, लेखा वर्ष के आरंभ में इसकी बैलेंस शीट में दिखाए गए आरक्षितियों का 5 प्रतिशत :</p> <p>(iv) कोई भी राशि, जो लेखा वर्ष के संबंध में, उसके द्वारा हस्तांतरित की जाती है—</p> <p>(क) बैंकिंग की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत एक आरक्षित निधि विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10); या</p> <p>(ख) भारत में किसी भी रिजर्व के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश या सलाह के अनुसरण में</p> <p>इनमें जो भी अधिक हो :</p> <p>बशर्ते कि जहां बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 (42) के अर्थ में एक विदेशी कंपनी है, इस मद के तहत कटौती की जाने वाली राशि कुल होगी—</p> <p>(i) लेखा वर्ष के लिए अपने वरीयता वाले हितधारकों को ऐसी राशि पर देय लाभांश की दर जिसपर ऐसे लाभांश देय हैं अपनी कुल वरीयता शेयर पूंजी के समान समानुपात को वहन करते हैं, ठीक इसी तरह भारत में कुल कार्यकारी निधियां अपनी कुल विश्व कार्यकारी निधियों में से वहन करती हैं।</p> <p>(ii) ऐसी राशि का 7.5 प्रतिशत अपने कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के समानुपात में होता है, ठीक इसी तरह भारत में कुल कार्यकारी निधियां अपनी कुल कार्यकारी निधियों में से वहन करती हैं;</p> <p>(iii) ऐसी राशि का 5 प्रतिशत उसके कुल प्रकटित आरक्षितियों के समानानुपात में है, ठीक इसी तरह भारत में कुल कार्यकारी निधियां अपनी विश्व कार्यकारी निधियों में से वहन करती हैं।</p> <p>(iv) कोई भी राशि, जो लेखा वर्ष के संबंध में, इसके द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा की जाती है।</p> <p>(2) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की धारा (2), इस प्रकार जमा किए जाने वाला जमा पूर्वोक्त प्रावधान के तहत अपेक्षित राशि से अधिक न हो।</p>
3	निगम	<p>(i) लेखा वर्ष के प्रारंभ में इसकी प्रदत्त पूंजी का 8.5 प्रतिशत;</p> <p>(ii) पूर्व लेखा वर्ष से किसी भी अग्रनित लाभ सहित, यदि कोई हो तो, लेखा वर्ष के आरंभ में इसकी बैलेंस शीट में दिखाए गए आरक्षितियों का 6 प्रतिशत :</p>
4	सहकारी समिति	<p>(i) ऐसी समिति द्वारा अपनी प्रतिष्ठान में निवेश की गई पूंजी का 8.5 प्रतिशत जैसा कि लेखा वर्ष के प्रारंभ में इसकी लेखा-बहियों से प्रमाणित है;</p> <p>(ii) ऐसी राशियाँ जो लेखा वर्ष के संबंध में उस समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत आरक्षित निधि में अग्रपिठ की गई हों।</p>
5	कोई अन्य नियोक्ता जो पूर्वोक्त किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है	<p>उसके द्वारा अपने प्रतिष्ठान में निवेश की गई पूंजी का 8.5 प्रतिशत, जैसा कि लेखा वर्ष के प्रारंभ में उसकी लेखा-बहियों से प्रमाणित है;</p> <p>बशर्ते कि जहां ऐसा नियोक्ता एक व्यक्ति है जिस पर आयकर अधिनियम का अध्याय XXII—क लागू होता है, लेखा वर्ष के दौरान उस अध्याय के प्रावधानों के तहत उसके द्वारा देय वार्षिकी जमा की भी कटौती की जाएगी :</p>

		<p>आगे यह भी उपबंधित है कि जहां ऐसा नियोक्ता एक फर्म है, उसके द्वारा लेखा वर्ष के संबंध में प्रतिष्ठान से प्राप्त सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि, धारा 6 के खंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास की कटौती के बाद प्रतिष्ठान के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने वाले सभी भागीदारों के पारिश्रमिक के तरीके में भी कटौती की जाएगी, लेकिन जहां भागीदारी समझौता, चाहे मौखिक हो या लिखित, ऐसे किसी भी भागीदार को पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है, और –</p> <p>(i) ऐसे सभी भागीदारों को देय कुल पारिश्रमिक, देय राशि के उक्त 25 प्रतिशत से कम है, जो ऐसे प्रत्येक भागीदार को अधिकतम अड़तालीस हजार रुपये देय है; या</p> <p>(ii) ऐसे सभी भागीदारों को देय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से अधिक है, ऐसा प्रतिशत, या ऐसे प्रत्येक भागीदार को अड़तालीस हजार रुपये की दर से दी की गई राशि, की जो भी इससे कम हो, उसके परन्तुक के अन्तर्गत कटौती की जाएगी :</p> <p>यह भी उपबंधित है कि जहां ऐसा नियोक्ता एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार है –</p> <p>(i) धारा 34 के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास की कटौती के पश्चात् लेखा वर्ष के संबंध में ऐसे नियोक्ता द्वारा प्रतिष्ठान से प्राप्त सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि; या</p> <p>(ii) अड़तालीस हजार रुपये, उक्त दोनों में से जो भी कम हो, की कटौती, ऐसे नियोक्ता के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी।</p>
--	--	--

स्पष्टीकरण : मद संख्या 1(iii), 2(iii) और 3(ii) के लिए कॉलम (3) में दी गई "रिजर्व अभिव्यक्ति" में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए पृथक की गई, कोई राशि शामिल नहीं होगी—

- (i) किसी भी प्रत्यक्ष कर का भुगतान, जो बैलेंसशीट के अनुसार देय होगा;
- (ii) धारा 34 के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य किसी भी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए;
- (iii) लाभांश का भुगतान जो घोषित किया गया है, लेकिन इसमें शामिल होगा –
- (क) इस व्याख्या के खंड—(1) में निर्दिष्ट राशि से अधिक एवं ज्यादा कोई भी राशि, किसी भी प्रत्यक्ष कर के भुगतान के उद्देश्य के लिए विशिष्ट आरक्षित रूप में पृथक रखी गई है; तथा
- (ख) धारा 34 के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य राशि से अधिक किसी भी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए पृथक रखी गई कोई भी राशि।

**अनुसूची ड
(नियम 4 (2) देखें)**

दिनांक 26.07.2011 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कर्मचारियों के सभी वर्गों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

अकुशल	अकुशल
अर्द्ध-कुशल	अर्द्ध-कुशल
कुशल	कुशल
गैर मैट्रिक	अर्द्ध-कुशल
मैट्रिक पास लेकिन स्नातक नहीं	कुशल
स्नातक और इससे ऊपर	अति कुशल
क्र० सं०	अकुशल
1	चरवाहा
2	पशुपालक

3	क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, मवेशी, यार्ड, एमटी)
4	चारा इक्वटा करने वाला
5	डेयरी कुली
6	मजदूर (बागवानी, डेयरी के भूसे की कटाई, सिंचाई, गोबर का ढेर लगाना, दूध-कक्ष, राशन इक्वटा करने का रूम, मलेरिया-रोधी, एम.आर.)
7	चालक (खच्चर, बैल, ऊंट, गधा)
8	ग्राज़लर
9	डेयरी कामगार
10	(स्टोर-मजदूर)
11	वाहक (पत्थर)
12	तोड़ने वाला (ब्रेकर) (हस्तचालित उपकरणों का उपयोग करके)
13	सहायक
14	सन्देश वाहक (कार्यालय)
15	माली
16	घास बांधना और ढोना
17	सफाई कर्मचारी
18	गड्ढर तौलना और ढोना
19	वाइटमैन (गांठे, पाली)
20	वाटरमैन
21	अस्तबल कर्मी
22	ट्रॉली मैन
23	वाल्व कर्मी
24	चौकीदार
25	सफेदी करने वाला
26	लकड़हारा
27	बोरीमैन
28	कंडेनसर
29	परिचारक
30	घास काटने वाला
31	कंडेनसर परिचारक
32	टर्नर
33	बजरी फैलानेवाला
34	बीटर
35	चेन मैन
36	बोट मैन
37	बकेट मैन
38	मजदूर (बॉयलर, मवेशी यार्ड, खेती, सामान्य भार चढ़ाना-उतारना, बंडलिंग, कार्टिंग-फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, विविध बीज अंकुरण, बुवाई, छाजन, रोपण, निराई)
39	क्लीनर (क्रेन, ट्रक, राख, गड्ढे के लिए सुलगता कोयला)
40	कार्टमैन
41	केयरटेकर (पुल)
42	वाहक (जल)
43	चौकीदार
44	कंक्रीट (हैंड मिक्सर)
45	दफादार
46	मशीनों पर काम न करने वाले खलासी
47	मजदूर (उद्यान)
48	मजदूर
49	होल कटर
50	सफाई वाला
51	ड्रेसर
52	भार ढोने वाला
53	वाहक
54	भू-कटर

55	द्वार पाल
56	कंक्रीट (हाथ मिक्सर)
57	शेयरो का निराकरण
58	लैम्पमैन
59	बेलदार/बेलदार (कैंटीन)
60	कुली
61	चपरासी
62	रसोइए का सहायक
63	ऑफिस बॉय
64	भार ढोने वाला/भार न ढोने वाला
65	उत्खनन श्रम
66	खदान कामगार
67	कसाई
68	लॉरी सहायक
69	सतही लोडर
70	लदने और उतारने में नियोजित व्यक्ति
71	किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली अकुशल प्रकृति के स्वीपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गों में नियोजित व्यक्ति।
72	क्रमांक 1 से 71 में यथाउल्लेखित समान कार्य-प्रकृति एवं अनुभव रखने वाले कोई अन्य रोजगार।

क्र० सं०	अर्द्ध कुशल
1	सहायक (चौकीदार)
2	सहायक-प्लम्बर
3	परिचारक
4	भिश्ती
5	ब्रांडर
6	बुलमैन
7	बटरमैन
8	कोचमैन
9	मोची
10	खेतिहर
11	दफ्तरी
12	डिलीवरीमैन
13	धोबी
14	ड्रेसर
15	फायरमैन
16	ग्वाला
17	हैमरमैन
18	सहायक (लुहार)
19	सहायक
20	जमादार (स्टैंड)
21	जमादार
22	खलासी
23	वरिष्ठ माली
24	मैट/मिस्त्री
25	मजदूर (साक्षर)
26	नलबंद
27	ऑयलमैन
28	हलवाहा
29	वीटेकर्स
30	पर्यवेक्षक
31	छप्पर
32	वाल्मैन

33	वाल्ममैन (वरिष्ठ)
34	टिन केवलों को लगाने वाला वायरमैन
35	कुक
36	डेंडी
37	फ्राश
38	आरी कामगार
39	सहायक (लोको-क्रेन / ट्रक)
40	मांझी (नाविक)
41	बेल्वावाला
42	मुक्काडेम (धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियमन, 1961 के अंतर्गत सक्षमता प्रमाण पत्र के बिना)
43	भिश्ती (मुश्क के साथ)
44	नाविक (प्रमुख मिक्सर)
45	ब्रेकर
46	ब्रेकर (पत्थर, चट्टान, पहाड़ी पत्थर, पत्थर धातु)
47	कैनवीवर
48	चैनमैन (प्रमुख)
49	चारपाई-बुनकर
50	चेकर
51	क्रेकर
52	डॉलीमैन
53	सहायक
54	ड्रिलर
55	सुचालक (त्वचा)
56	उत्खनक
57	फेरोमैन
58	फायरमैन (ईट भट्टा, वाष्प रोड रोलर)
59	द्वारपाल
60	घरामी
61	क्लासमैन
62	ग्रेटर
63	ग्रीजर-सह-फायरमैन
64	ग्राइंडर
65	हैमरमैन
66	सहायक (शिल्पकार)
67	सहायक (लकड़हारा)
68	कीमैन
69	खलासी (प्रमुख सर्वेक्षक, नदी-मोपाला गिरोह, पर्यवेक्षी)
70	मजदूर (पत्थर काटना)
71	लास्कर
72	माली (प्रमुख)
73	स्टॉकर्स और बॉयलरमैन
74	थूम्बामैन (फावड़ा कामगार)
75	टिंडल्स
76	ट्रॉलीमैन (हेड मोटर)
77	फिटर (सहायक अर्ध-कुशल)
78	जमादार (अर्ध-कुशल)
79	मेट (पत्थर)
80	कसाब
81	खलासी (संरचनात्मक)
82	मसालची पी.एम.मेट्स
83	खनिक
84	अप्रशिक्षित मेट/माइनिंग मेट/ धातुकर्म खान विनियमन, 1961 के अन्तर्गत सक्षमता प्रमाण पत्र के बिना मेट
85	बटलर/रसोइया
86	ब्रेकर (यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करके)

87	क्रेच आया/आया/अप्रशिक्षित क्रेच परिचारक
88	सहायक ड्रिलर
89	ऑयलमैन/ऑयलर
90	चौकीदार/पहरेदार
91	सहायक (राजमिस्त्री, बढई, लुहार)
92	टिंडल्स
93	तोपास (पुखराज)
94	टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक)
95	ट्रॉली जमादार
96	विचमैन
97	उपस्थिति-रक्षक
98	सहायक वायरमैन
99	मेट
100	मेट (लुहार, सड़क, बढई)
101	इंजन चालक और/ या फीडर
102	फिटर
103	गैंग
104	मजदूर राजमिस्त्री
105	स्थायी मार्ग
106	पंप-चालक, टर्नर
107	मजदूर (भारी वजन)
108	चार्ज मैन
109	मिस्त्री (प्रमुख)
110	मुक्काडैम
111	रात्रि रक्षक
112	रनर (पोस्ट डाक)
113	ऑयलमैन
114	खदानकार
115	खदान प्रचालक
116	स्टोनमैन
117	स्टॉकर
118	थैचर
119	पंप परिचारक
120	वाहक
121	ब्रेकमैन
122	काउल्डर मैन
123	प्रयोगशाला सहायक
124	प्लॉइंट्समैन सेंकम्मी
125	पत्थर खानों तथा अर्द्ध-कुशल प्रकृति की किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली अन्य श्रेणियां
126	क्रमांक 1 से 126 में यथाउल्लेखित समान कार्य-प्रकृति एवं अनुभव रखने वाले कोई अन्य रोजगार।

क्र० सं०	कुशल
1	शिल्पकार (वर्ग- द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ)
2	लुहार (वर्ग-II)
3	बायलर मैन
4	बढई (वर्ग-II) बढई-सह-लुहार
5	चौकीदार
6	चालक
7	चालक (इंजन ट्रैक्टर, एम.टी.मोटर)
8	इलेक्ट्रीशियन
9	फिटर
10	राजमिस्त्री वर्ग-II
11	मशीन हैंड (वर्ग-II, III, IV)

12	मेट जीआर-I (वरिष्ठ)
13	मैकेनिक
14	मिस्त्री (प्रमुख)
15	सांचागर (माउलडर)
16	मस्टर राइटर
17	प्रचालक (ट्यूब-वेल)
18	पेंटर
19	प्लम्बर
20	वेलडर
21	असबाबवाला
22	वायरमैन
23	चिपर
24	चिपर-कम-ग्राइंडर
25	रसोइया (प्रमुख)
26	ड्रिलर
27	ड्रिलर (कुआं खोदना)
28	चालक (लोको / ट्रक)
29	इलेक्ट्रीशियन (सहायक)
30	मैकेनिक (ट्यूब-वेल)
31	मिस्त्री (ट्यूब-वेल, टेलीफोन)
32	मीटर रीडर
33	ऑपरेट (बैचिंग प्लांट, सिनेमा प्रोजेक्ट, क्लैप शल्फ, कंप्रेसर, ग्रेन, डोरिक, डीजल इंजन, डोजर, ड्रेगलिंग ड्रिल डम्बर, खुदाई करने वाला, फोर्क लिफ्ट जेनरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर और पेमेंट ब्रेकर लोडर, पाइल ड्राइविंग, स्क्रैपर, स्क्रीनिंग प्लांट, शोवाल, ट्रेक्टर, वाइब्रेटर, वेटर बैचर, रिपेयर (बैटरी)
34	स्प्रेयर (अशाल्ट) स्टेशन मास्टर
35	ट्रेड्स-मैन
36	टर्नर / मिलर
37	सॉयर
38	सॉयर (सेलेक्शन ग्रेड क्लास-II) संरंग
39	बॉयलर के साथ ड्राइविंग पैंटूमस
40	पाली प्रभारी
41	स्प्रेमैन (सड़क)
42	स्टोन कटर (चयन ग्रेड, ग्रेड-II, वर्ग-II)
43	स्टोन चिस्लर (वर्ग -II)
44	उप-पर्यवेक्षक (निर्हरक)
45	पर्यवेक्षक
46	पंप चालक (चयन ग्रेड) ग्रेड-II और III, वर्ग-II)
47	पंप चालक (चयन ग्रेड, पी.ई., चालक)
48	पंप मैन
49	प्लम्बर
50	पालिशगर (स्प्रे के साथ) ग्रेड-II
51	रॉड बेंडर
52	ढुलाई ऑपरेटर
53	औषधालय परिचारक
54	पर्यवेक्षी फायरमैन
55	कंप्रेसर चालक
56	दर्जी
57	दर्जी (असबाब)
58	टारमैन
59	लाइन मैन
60	टाइलर वर्ग-II
61	दीवार (फर्श, छत)
62	टाइलर (चयन ग्रेड)
63	टीनकार (चयन ग्रेड, ग्रेड-II और III, वर्ग-II) टिकर

64	आर्मेचर वाइन्डर ग्रेड-II और III
65	लुहार (चयन ग्रेड, ग्रेड-II और III, वर्ग-II और III)
66	बॉयलरमैन ग्रेड-II और III
67	बॉयलर फोरमैन ग्रेड-II
68	ब्रिकलेयर (वर्ग-II)
69	चौकीदार (प्रमुख)
70	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
71	कंक्रीट मिक्सचर ऑपरेटर
72	मोची
73	चालक (मोटर वाहन)
74	डिस्टेंपर, इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड-II, वर्ग-II और वर्ग III)
75	फिटर
76	जॉइनर
77	लाइनमैन (ग्रेड-II, III, हाई टेंशन/ लॉ टेंशन)
78	मेसन (ग्रेड-II, III, और श्रेणी ख मिस्त्री)
79	ईट-परत
80	टाइल प्लोरिंग
81	पत्थर काटना
82	मैकेनिक (वर्ग-II एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड- II)
83	रोड रोलर ग्रेड-II
84	सहायक, रेडियो
85	मिस्त्री
86	सांचागर (माउलडर)
87	पेंटर
88	प्लास्टर
89	प्लंबर
90	प्लंबर-सह-फिटर
91	पालिशगर
92	टर्नर
93	असबाबवाला
94	असबाबवाला (ग्रेड- II और III)
95	पेंटर स्प्रे (वर्गकक्षा- II)
96	लकड़हारा
97	वेलडर
98	ऑटो-इलेक्ट्रीशियन
99	चार्जमैन
100	केमिस्ट और असिस्टेंट/केमिस्ट
101	उप-पर्यवेक्षक (निर्हक)
102	ड्रिलर
103	हैंडहोल ड्रिलर
104	ड्रिल मैकेनिक
105	ऑटो चालक
106	फोरमैन
107	लोडर ऑपरेटर
108	मिड वाइफ
109	टीनकार
110	कुशल मजदूर
111	पर्यवेक्षक
112	नक्शानवीस (ड्राफ्ट मान)
113	वायरमैन
114	टिम्बर मैन/टिम्बर मिस्त्री बिजली
115	स्टोन क्रशर ऑपरेटर
116	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)/प्रमुख चौकीदार

117	मशीनरी परिचर
118	एयर कंडीशन मैकेनिक
119	जेनरेटर ऑपरेटर
120	व्हाइटवाशिंग और कलर वाशिंग मैन
121	ऑपरेटर न्यूमेटिक टूल्स, ऑपरेटर (फिटर)
122	बोरर
123	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य श्रेणियों के कुशल प्रवृत्ति के लोग जो अन्य नाम से जाने जाते हैं।
124	सहायक (कैशियर)
125	लाईब्रेरियन
126	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
127	हिन्दी अनुवादक
128	लेखा लिपिक
129	लिपिक
130	कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर
131	टंकक
132	भंडार परिचर
133	मुंशी (मैट्रिकुलेट)
134	स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट)
135	भंडार रक्षक
136	समय रक्षक
137	पुस्तक रक्षक
138	कार्य मुंशी
138	भंडार लिपिक
140	टैली क्लर्क
141	स्टोर जारीकर्ता
142	टूल कीपर
143	रिकॉर्ड कीपर
144	अनुरेखक
145	कोई अन्य रोजगार जिसमें समान प्रकृति का कार्य और अनुभव हो, जैसा कि क्रमांक 1 से 144 में उल्लेख किया गया है।

क्र० सं०	अति कुशल
1	आर्टिफिशियल वर्ग-I
2	लुहार वर्ग-I
3	बढ़ई वर्ग-I
4	राजमिस्त्री वर्ग-I
5	मैकेनिक (वरिष्ठ)
6	पेंटर (ग्रेड-I, वर्ग-I स्प्रे) प्लास्टर (राजमिस्त्री) वर्ग-I
7	पलंबर (प्रमुख, वर्ग-I)
8	मिस्त्री ग्रेड-I
9	पालिशर (स्प्रे ग्रेड-I के साथ)
10	रोड इन्स्टेक्टर ग्रेड-I
11	लकड़हारा वर्ग-I
12	स्टोन कटर वर्ग-I
13	स्टोन कटर ग्रेड-I
14	स्टोन चिस्लर वर्ग-I
15	स्टोन मेसन वर्ग-I
16	उप-पर्यवेक्षक (अर्हक)
17	टाइलर वर्ग-I
18	टिनस्मिथ ग्रेड-I और वर्ग-I
19	असबाबवाला ग्रेड-I
20	वार्निश करने वाला वर्ग-I

21	वेल्डर-सह-फिटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
22	वेल्डर (गैस) वर्ग-I
23	व्हाइट वॉशर वर्ग-I
24	वायरमैन ग्रेड-I, वर्ग-I
25	लकड़हारा वर्ग-I
26	चक्की (उपकरण) वर्ग-I
27	प्रचालक (बैचिंग प्लांट वर्ग-I)
28	लीडर ग्रेड I
29	पाइल ड्राइविंग वर्ग-I
30	पंप ग्रेड
31	स्क्रेपर ग्रेड-I
32	पंप ऑपरेटर ग्रेड-I
33	स्क्रेपर ग्रेड-I
34	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र के साथ)
35	आर्मेचर वाइन्डर ग्रेड-I
36	लुहार ग्रेड-I और वर्ग-I
37	बॉयलरमैन ग्रेड-I
38	बॉयलरमैन फोरमैन ग्रेड-I
39	ईट परत वर्ग-I
40	केबल जॉइनर वर्ग-I
41	बढ़ई ग्रेड-I और वर्ग-I
42	सेलो कटर और डेकोरेटर
43	चार्जमैन वर्ग-I
44	चेकर (वरिष्ठ) चालक लॉरी ग्रेड-I
45	मोटर लॉरी ग्रेड -I
46	मोटर वाहन वर्ग-I और डीजल इंजन ग्रेड-I
47	रोड रोलर ग्रेड-I
48	पंप वर्ग इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-I और वर्ग-I/ ग्रेड-I
49	फिटर (ग्रेड-I, वर्ग-I)
50	पाइप वर्ग-I (प्रमुख)
51	फोरमैन (सहायक) लाइन मैन ग्रेड-I राजमिस्त्री (कुशल ग्रेड-I, वर्ग-I)
52	मस्त रिग
53	मैकेनिक वर्ग-I और वर्ग-II
54	मैकेनिक (डीजल ग्रेड-I और रोड रोलर ग्रेड-I)
55	एयरकंडीशनिंग ग्रेड-I, वर्ग-I, मिस्त्री ग्रेड-I
56	मिस्त्री (एयरकंडीशनिंग ग्रेड-I)
57	पर्यवेक्षक
58	पर्यवेक्षक (वरिष्ठ और कनिष्ठ)
59	ड्रैगलाइन ग्रेड-I
60	ड्रिल ग्रेड-I
61	डम्पर ग्रेड-I
62	उत्खनन ग्रेड-I
63	कांटा लिफ्ट ग्रेड-I
64	जेनरेटर ग्रेड-I
65	रिगर ग्रेड-I
66	शिल्पकार वर्ग-I
67	टर्नर/मिलर ग्रेड-I
68	कार्य (सहायक) ग्रेड-I
69	कंपाउंडर

70	सर्वेक्षक
71	प्रचालक (भारी मिट्टी उठाने वाला फावड़ा और बुलडोजर)
72	मुख्य मिस्त्री
73	डिप्लोमा सहित स्टाफ नर्स
74	जैक हैमर के अलावा ड्रिल ऑपरेटर
75	सक्षमता प्रमाण पत्र सहित विद्युत पर्यवेक्षक
76	मुख्य मैकेनिक
77	योग्य और अनुभवी वेल्डर
78	मशीन टूल मैकेनिक
79	मैकेनिकल / प्लांट फोरमैन
80	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक
81	प्रमुख इलेक्ट्रीशियन
82	लेखाकार
83	7 वर्षों की सेवा के साथ स्टेनो
84	स्टोर प्रभारी
85	शिफ्ट प्रभारी
86	पर्यवेक्षक
87	वाँच और वार्ड के प्रभारी
88	क्रेन ग्रेड-I
89	कंप्रेसर ग्रेड-I
90	ग्रेडर ग्रेड-I
91	वाइब्रेटर ग्रेड-I
92	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड-I
93	फावड़ा ग्रेड-I
94	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र) तथा अति कुशल प्रकृति की किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली अन्य श्रेणियां
95	कोई अन्य रोजगार जिसमें समान प्रकृति का कार्य और अनुभव हो जैसाकि क्रमांक 1 से 94 में उल्लेख किया गया है।

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th November, 2021

No. F. 15(75)/Lab/2021/4588.—The following draft of the Code on Wages (Delhi) Rules, 2021 which the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (Central Act No. 29 of 2019) is hereby published as required by sub-section (1) of said section, for the information of all the persons likely to be affected there by and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after thirty days from the date of its publication in the Part-IV of the Delhi Gazette- Extraordinary. Any objection or suggestion, which may be received by the Additional Secretary (Labour) (HQ) (labjlc2.delhi@nic.in), Government of National Capital Territory of Delhi, 5, Sham Nath, Marg, Delhi- 110054, in writing or on email from any person before the expiry of the period specified above, will be considered by the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

Chapter I

(Preliminary)

- 1. Short title, extent and commencement.** - (1) These rules may be called the Code on Wages (Delhi) Rules, 2021.
 - (2) They extend to the whole of National Capital Territory of Delhi.
 - (3) They shall come into force after the date of their final publication in the Official Gazette, on the date of the commencement of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).
- 2. Definitions.**- In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —
 - (a) “authority” means the authority appointed by the Government under sub-section (1) of section 45;
 - (b) “appellate authority” means the appellate authority appointed by the Government under sub-section (1) of section 49;

- (c) “appeal” means an appeal preferred under sub-section (1) of section 49;
- (d) “Board” means the Delhi State Advisory Board constituted by the Government under sub-section (1) of section 42;
- (e) “Chairperson” means the chairperson of the Board;
- (f) “Code” means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);
- (g) “committee” means a committee appointed by the Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;
- (h) “day” means a period of 24 hours beginning at mid-night;
- (i) “Form” means a form appended to these rules;
- (j) “Government” means Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi as referred to in Article 239 AA of the Constitution.
- (k) “highly skilled occupation” means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;
- (l) “Inspector-cum-Facilitator” means a person appointed by the Government, by notification under sub-section (1) of section 51;
- (m) “member” means a member of the Board and includes its Chairperson;
- (n) “registered trade union” means a trade union registered under The Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926);
- (o) “Schedule” means the schedule to these rules;
- (p) “section” means a section of the Code;
- (q) “semi-skilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;
- (r) “skilled occupation” means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiation and judgment;
- (s) “unskilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills;
- (t) all other words and expressions used herein in these rules and not defined shall have the meaning respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER- II

Minimum wages

- 3. Manner of calculating the minimum rate of wages.**—(1) for the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria namely:-
- (I) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;
 - (II) a net intake of 2731 calories per day per consumption unit or prescribed by National Institute of Nutrition, Hyderabad for an adult person doing moderate activities,
 - (III) 66 meters cloth per year per standard working class family;
 - (IV) Housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;
 - (V) Fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and
 - (VI) Expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;
- (2) when the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

(4) Norms for fixation of minimum rate of wages.-

- (1) The Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the Government in respect of skill categorization, which shall consist of the following members, namely:-
 - (i) Labour Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi - Chairperson;
 - (ii) Additional Labour Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi dealing with the wages – Member Secretary;
 - (iii) A representative from the Department of Training and Technical Education Government of National Capital Territory of Delhi dealing with skill development - Member;
 - (iv) Special or Joint Director of Employment, Government of National Capital Territory of Delhi - Member;
 - (v) Two technical experts in wage determination as nominated by the Government -Members;
- (2) The Government shall, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (1), categorize the occupations of the employees into four categories that is to say unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding any entry in the categorization of such occupations specified in Schedule E.
- (3) The technical committee referred in sub-rule (1) shall while advising the Government under sub-rule (2) take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

5. Time Interval for revision of dearness allowance.- Endeavour shall be made so that the cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the dearness allowance payable to the employees on the minimum wages.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day.—(1)The normal working day under clause (a) of sub-section (1) of section 13 shall be comprised of eight hours of work and one or more intervals of rest which in total shall not exceed one hour.

- (2) The working day of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.
- (3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the Government.
- (4) Nothing in this rule shall be deemed to affect the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or any other legislation which may subsume it.

7. Weekly day of rest.— (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as “the rest day”) which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day for any employee or class of employees:

Provided that an employee shall be entitled for the rest day under this sub-rule if he has worked under the same employer for a continuous period of not less than six days:

Provided further that the employee shall be informed of the day fixed as the rest day and of any subsequent change in the rest day before the change is effected, by display of a notice to that effect in the place of employment at any conspicuous place.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days specified in the first proviso to this sub-rule, any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work, a day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) or any other legislation, which may subsume it and any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days immediately preceding the rest day, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

- (2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

- (3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest

day occurs.

- (4) An employee shall be granted-
- (a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and
- (b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where-

- (i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or
- (ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and
- (iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate; and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Authority as notified by the Government having territorial jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations.
- (iv) Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

- (5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favorable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms aforesaid.

Explanation.- For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

- 8. Night shifts.**—Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then,

- a. a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty- four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and
- b. the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

- 9. The extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13.**-In case of employees-

- a. engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;
- b. engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;
- c. whose employment is essentially intermittent;
- d. engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and
- e. engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces; the provisions of rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the condition that –
- (i) the spread over of the hours of work of the employee shall not exceed 16 hours in any day; and
- (ii) the actual hours of work excluding the intervals of rest and the periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attendance shall not exceed 9 hours in any day.

10. **Longer wage period.**-The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.
11. **Circumstances under clause (ii) of the proviso to section 10.** — An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other law for the time being in force.

CHAPTER III

PAYMENT OF WAGES

12. **Recovery under sub-section (4) of section 18.**-where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent of the wages of the employee in that month.
13. **The authority under sub-section (1) of section 19.**- The Joint or Deputy labour commissioner having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of section 19.
14. **The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of section 19.**- a notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the inspector-cum-facilitator having jurisdiction.
15. **The procedure under sub-section (3) of section 19.**-the employer shall give an intimation in writing specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Joint or Deputy labour commissioner referred to in rule 13 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned.
16. **Intimation of deduction.**-(1)Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall make intimation of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within 10 days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.
- (2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made there under, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer.
17. **Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21.**-Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,-
- (i) explain to the employee personally and also in writing the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and
- (ii) there after, give the employee an opportunity to offer any explanation and deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.
18. **Conditions regarding recovery of advance under section 23.**-The recovery, as the case may be of,-
- (i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or
- (ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, Shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty per cent of the wages of the employee in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.
19. **Deduction under section 24.**-Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the Central Government or Government of National Capital Territory of Delhi, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the Central Government or Government of National Capital Territory of Delhi from time to time regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER IV

Payment of Bonus

20. **Calculation of set on or set off for the sixth accounting year.**-For the sixth accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (i) of sub-section (7) of section 26, in the manner

illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth and sixth accounting years.

21. **Calculation of set on or set off for the seventh accounting year.**-For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh accounting years.
22. **Computation of gross profits under clause (a) of section 32.**-The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company, be calculated in the manner specified in Schedule B.
23. **Computation of gross profits under clause (b) of section 32.**-The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year in a case other than banking company, be calculated in the manner specified in Schedule C.
24. **Deduction of further sums under clause (c) of section 34.**-The further sums as are specified in respect of the employer in Schedule D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.
25. **Manner of carrying forward under sub-section (1) of section 36.**- Where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty percent of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilized for the purpose of payment of bonus in such manner as illustrated in Schedule A.
26. **Manner of carrying forward under sub-section (2) of section 36.**- Where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 26 which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in such manner illustrated in Schedule A.

CHAPTER V

Delhi State Advisory Board on Wages

- A. Procedure of Delhi State Advisory Board under sub-section (10) of section 42
27. **Constitution of the Board.**-(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 and the independent persons as specified in clauses (c) of that sub-section.
 - (2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 42 shall be twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also be twelve.
 - (3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (6) of section 42 to be nominated by the Government shall consist of the following, namely:-
 - (i) the Chairperson;
 - (ii) two Members of Delhi Legislative Assembly;
 - (iii) four members each of whom, shall be a professional in the field of wages and labour related issues;
 - (iv) one member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal under section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947); and
 - (v) One representative each from Department of Planning and Statistics, Law and Justice Department and Finance Department, Government of National Capital Territory of Delhi.
 - (4) The Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (3) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one-third of the members of the Board shall be women.
 28. **Meeting of the Board.** - The Chairperson may, subject to the provisions of rule 30, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

29. **Notice of meetings.** - The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

30. **Function of the Chair person of Delhi State Advisor Board on Wages** – The Chairperson shall-

- (i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

- (ii) decide agenda of each meeting of the Board;

- (iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

31. **Quorum.** - No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a Registered post.

32. **Disposal of business of the Board.**- All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

33. **Method of voting.**- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

34. **Proceedings of the meetings.**- (1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present there at shall be forwarded to each member and to the Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

35. **Summoning of witnesses and production of documents.**- (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

- (2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

36. **Appointment of the committees.**- The Government may constitute as many committees under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.

B. Terms of office of members of the Board under sub-section (11) of section 42

37. **Term of office of members of the Board.**-(1)The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (4) of section 42:

- (1) Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

- (2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.
- (3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the Government.
- 38. Travelling allowance.**-The Chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Group A officer of the Central Government.
- 39. Officers and Staff.**- The Government may provide a Secretary not below the rank of Joint Secretary to the Government, other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the National Capital Territory ioning of the Board.
- 40. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.**- An outgoing member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.
- 41. Resignation of the Chairperson and other members of the Board.**-(1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the Government.
- (2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier.
- (3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the Government immediately and the Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.
- 42. Cessation of membership.**- If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.
- 43. Disqualification.**- (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board-
- (i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or
- (ii) if he is an un-discharged insolvent; or
- (iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.
- (2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the Government thereon shall be final.

CHAPTER VI

PAYMENT OF DUES, CLAIMS, etc.

- 44. Payment under clause (a) of sub-section (1) of section 44.**- Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Joint/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.
- 45. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.**-(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Joint/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.
- (2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Joint/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Joint/Deputy Labour Commissioner.
- 46. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.**—(1) The amount referred to in sub rule (1) of rule 45 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Joint/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction shall remain with him and be invested in the

Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

- (2) Joint/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction will exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Joint/Deputy Labour Commissioner considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two newspapers being circulating in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.
- (3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Joint/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be in whose favour such Joint/Deputy Labour Commissioner) has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.
- (4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be deposited to Delhi Labour Welfare Board or alternatively as decided by the Government.

CHAPTER VII

FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

47. **The form of a single application.** – A single application may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-II along with documents specified in such Form.
48. **Appeal.**- Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III ,along with documents mentioned by the appellent in such Form, to the appellate authority having jurisdiction.
49. **Form of register, etc.**-(1) all fines and all realizations thereof referred to in sub-section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer in form – appended to these rules, electronically or otherwise and the authority referred to in said sub-section (8) shall be the Joint/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction.
 - (2) All deductions and all realizations referred to in sub-section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer in Form- I appended to these rules, electronically or otherwise.
 - (3) Every employer of an establishment to which the Code applies shall maintain registers under sub-section (1) of section 50 in Form I and Form IV, electronically or otherwise.
50. **Wage slip.**-Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.
51. **Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53.**-(1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as the officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 or an Inspector-cum-Facilitator, the officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance .
 - (2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the offender the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced . The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.
 - (3) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.
 - (4) The officer shall after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.
52. **The manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56.**-(1)An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub-section (1).
 - (2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the

accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

- (3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

- 53. Timely Payment of Wages.**-Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, as the case may be, before the date of payment of wages so that payment of wages to the employees shall be made positively in accordance with the provisions of Section 17.

Explanation.-For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

- 54. Responsibility for payment of minimum bonus.**- Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

- 55. Inspection scheme** - (1) For the purposes of the Code and these rules, there may be formulated an inspection scheme by the Labour Commissioner with the approval of the Government on the criteria laid down in the Act.

(2) In the inspection scheme referred to in sub-rule (1), apart from other structural facts, a number shall be specified in the scheme for each Inspector-cum-Facilitator and establishment.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of Delhi,
S.C YADAV, Addl. Secy. (Labour)

FORM-I

[See rule-19 and rule-49(1), (2) and (3)]

Register of Wages, Overtime, Fine, Deduction for damage and Loss

Name of the Establishment:

Name of the Employer/Owner:

PAN/TAN of the Employer:

Sr. No. in Employee Register	Name of the employee	Designation / Department	Duration of Payment of Wages (Monthly/Fortnightly /Weekly/Daily/Piece rated)	Wage Period From- To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
							Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Overtime earning	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Amount of deduction from wages	Total amount of wages paid	Date of Payment	Date		

(Form to be maintained electronically or physically even if salary is being made through Bank transfer).

FORM-II

[See rule 47]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]
BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF
THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR..... AREA.....

Application No.....of 20.....

Between ABC and (State the number).....other Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator

Address.....

And

XYZ.....

Address.....

The application states as follows:

- (1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from to..... as.....(category)in.....(establishment) Shri/M/s.....engaged in(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.
- (2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(1) of the Code on Wages, 2019.
- (3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs.... Per day for the period(s) from.....to.....
- (a) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs..... Per day for the weekly days of rest from to...
- (b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from.....to....
- (c) The applicant(s) has/have not been paid wages for period fromto.....
- (d) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.
- (e) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year
- (4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/ them on each amount as under:
 - (a) Rs.....
 - (b) Rs.....
 - (c) Rs.....

Total Rs.....

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

- (a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,
- (b) payment of remuneration for the days of rest
- (c) payment of wages at the overtime rates,
- (d) compensation amounting to Rs.....

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated.....

Signature or thumb-impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector- cum- Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See rule 48)

Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019
Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made : Number and date :

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :— [Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Place :

Dated:

Signature of the appellant.

For office use

.....

Date of filing or

Date of receipt by post Registration No.

Authorized Signatory

FORM VI

[See rule 52]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :
2. Father's / Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Particulars of the offence:
5. Section of the Code under which the offence is committed:
6. Maximum fine provided for the offence under the Code :
7. Whether prosecution against the applicant is pending or not
8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.
.....
9. Any other information which the applicant desires to provide
.....

Dated:

Applicant (Name and signature)

Schedule A

[See rules 20, 21, 25 and 26]

In this Schedule, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all the employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would be Rs. 2,50,000.

Year	Amount equal to sixty per cent. or sixty-seven per cent., as the case may be, of available surplus allocable as bonus	Amount payable as bonus	Set on or Set off of the year carried forward	Total set on or set off carried forward	
1	2	3	4	5	6
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Of (year)
1.	1,04,167	1,04,167**	Nil	Nil	
2.	6,35,000	2,50,000*	Set on 2,50,000*	Set on 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (inclusive of 30,000 from year-2)	Nil	Set on 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	Set on 1,25,000	Set on 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.					

	1,40,000	2,50,000* (inclusive of 1,10,000 from year-2)	Nil	Set on 1,10,000	(2)
				1,25,000	(4)
6.	3,10,000	2,50,000*	Set on 60,000	Set on Nil + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (inclusive of 1,25,000 from year-4 and 25,000 from year- 6)	Nil	Set on 35,000	(6)
8.	Nil	1,04,167**(inclusive of 35,000 from year-6)	Set off	Set off	
	(due to loss)		69,167	69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	Set off 94,167	Set off 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167** (after setting off 69,167 from year-8 and 41,666 from year-9)	Nil	Set off 52,501	(9)

Notes:-

* Maximum.

+ The balance of Rs. 1,10,000 set on from year-2 lapses.

** Minimum

Schedule B
COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[See rule 22]

Accounting

year ending

Item No.	Particulars	Amount of sub- Items	Amount of main Items	Remarks
		Rs.	Rs.	
*1.	Net Profit as shown in the Profit and Loss Account after making usual and necessary provisions.			

2.	<p>Add back provision for:</p> <p>(a) Bonus to employees</p> <p>(b) Depreciation</p> <p>(c) Development Rebate Reserve</p> <p>(d) Any other reserves</p> <p>Total of Item No.2.....</p>	Rs.....		<p>See foot-note (1)</p> <p>See foot-note (1)</p>
3.	<p>Add back also:</p> <p>(a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years.</p>			See foot-note (1)
	<p>(b) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of –</p> <p>(i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and</p> <p>(ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason.</p> <p>(c) Donations in excess of the amount admissible for income-tax .</p> <hr/> <p>(d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax).</p> <p>(e) Any amount certified by the Reserve Bank of India in terms of sub-section (2) of section 34A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).</p> <p>(f) Losses of, or expenditure relating to, any business situated outside India.</p> <p>Total of Item No.3.....</p>	Rs.....		See foot-note (1)

4.	<p>Add also income, profits or gains (if any) credited directly to published or disclosed reserves, other than-</p> <p>(i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on such depreciation has not been allowed for income-tax);</p> <p>(ii) profits of, and receipts relating to , any business situated outside India;</p> <p>(iii) income of foreign banking companies from investment outside India.</p> <p>Net total of Item No.4.....</p>	Rs.....		
5.	Total of Item Nos.1, 2, 3 and 4...	Rs.....		
6.	<p>Deduct :</p> <p>(a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax).</p> <p>(b) Profits of, and receipts relating to any business situated outside India.</p> <p>(c) Income of foreign banking companies from investments outside India.</p> <p>(d) Expenditure or losses (if any) debited directly to published or disclosed reserves, other than –</p> <p>(i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax);</p> <p>(ii) losses of any business situated outside India.</p> <p>(e) In the case of foreign banking companies proportionate administrative (overhead) expenses of head-office allocable to Indian business.</p> <p>(f) Refund of any excess direct tax paid for previous accounting years and excess provision if any of previous</p>	Rs.....		<p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (3)</p> <p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (2)</p>

	<p>accounting years, relating to bonus, depreciation or development rebate, if written back.</p> <p>(g) Cash subsidy, if any, given by the government or by anybody corporate established by any law for the time being in force or by any other proceeds agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the of which are reserved for such purposes .</p> <p>Total of Item No. 6</p>			
7.	Gross profits for purposes of Bonus (item No 5 minus item No 6)	Rs.....		

Explanation: In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

* Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.

Foot-notes:-

- (1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.
- (2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.
- (3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)]

Schedule C
COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[(See rule 23)]

Accounting year ending.....

Item No.	Particulars	Amount. Of sub-	Amount. Of main	Remarks
		Items	Items	
		Rs.	Rs.	
1.	Net profit as per profit and loss account			
2.	Add back provision for : (a) Bonus to employees (b) Depreciation. (c) Direct taxes, including the provision (if any), for previous accounting years			See foot-note (1)

	<p>(d) Development rebate / investment allowance / development allowance reserve.</p> <p>(e) Any other reserves</p> <p>Total of Item No.2.....</p>	Rs.....		See foot-note (1)
3.	<p>Add back also :</p> <p>(a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years.</p> <p>(aa) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of-</p> <p>(i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and</p> <p>(ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason.</p> <p>(b) Donations in excess of the amount admissible for income-tax .</p>	Rs.....		See foot-note (1)
	<p>(c) Any annuity due, or commuted value of any annuity paid, under the provisions of section 280D of the Income Tax Act during the accounting year.</p> <p>Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax or agricultural income- tax.).</p> <p>(e) Losses of , or expenditure relating to, any business situated outside India.</p> <p>(d) Total of Item No.3.....</p>			See foot-note (1)
4.	<p>Add also income, profits or gains (if any) credited directly to reserves, other than-</p> <p>(i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax or agricultural income-tax);</p> <p>(ii) profits of, and receipts relating to, any business situated outside India;</p> <p>(iii) income of foreign concerns from investments outside India.</p> <p>Net total of Item No.4.....</p>	Rs.....		

(3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only).

Schedule D

[See rule 24]

<i>Item No.</i>	<i>Category of employer</i>	<i>Further sums to be deducted</i>
(1)	(2)	(3)
1.	Company, other than a banking company.	<p>(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the actual rate at which such dividends are payable;</p> <p>(ii) 8.5 percent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year;</p> <p>(iii) 6 percent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year :</p> <p>Provided that where the employer is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act ,2013 (18 of 2013) , the total amount to be deducted under this item shall be 8.5 percent on the aggregate of the value of the net fixed assets and the current assets of the company in India after deducting the amount of its current liabilities (other than any amount shown as payable by the company to its Head Office whether towards any advance made by the Head Office or otherwise or any interest paid by the company to its Head Office) in India.</p>
2.	Banking company	<p>(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the rate at which such dividends are payable ;</p> <p>(ii) 7.5 per cent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year ;</p> <p>(iii) 5 per cent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year;</p> <p>(iv) any sum which, in respect of the accounting year, is transferred by it-</p> <p>(a) to a reserve fund under sub-section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) ; or</p> <p>(b) to any reserves in India in pursuance of any direction or advice given by the Reserve Bank of India,</p> <p>whichever is higher:</p> <p>Provided that where the banking company is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act , 2013 (18 of 2013) , the amount to be deducted under this item shall be the aggregate of-</p> <p>(i) the dividends payable to its preference shareholders for the accounting year at the rate at which such dividends are payable on such amount as bears the same proportion to its total preference share capital as its total working funds in India bear to its total world working funds;</p> <p>(ii) 7.5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total paid up equity share capital as its total working funds in India bear to its total working funds.</p> <p>(iii) 5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total disclosed reserves as its total working funds in India bear to its total world working funds;</p> <p>(iv) any sum which, in respect of the accounting year, is deposited by it with the</p>

		Reserve Bank of India under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , not exceeding the amount required under the aforesaid provision to be so deposited.]
3.	Corporation	(i) 8.5 per cent of its paid up capital as at the commencement of the accounting year; (ii) 6 per cent of its reserves, if any, shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year.
4.	Co-operative society	(i) 8.5 per cent of the capital invested by such society in its establishment as evidenced from its books of accounts at the commencement of the accounting year; (ii) such sums as has been carried forward in respect of the accounting year to a reserve fund under any law relating to co-operative societies for the time being in force.
5	Any other employer not falling under any of the aforesaid categories	8.5 per cent of the capital invested by him in his establishment as evidenced from his books of accounts at the commencement of the accounting year: Provided that where such employer is a person to whom Chapter XXII-A of the income Tax Act applies , the annuity deposit payable by him under the provisions of that Chapter during the accounting year shall also be deducted: Provided further that where such employer is a firm, an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by it from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 6 by way of remuneration to all the partners taking part in the conduct of business of the establishment shall also be deducted, but where the partnership agreement, whether oral or written, provides for the payment of remuneration to any such partner, and – (i) the total remuneration payable to all such partners is less than the said 25 per cent the amount payable, subject to a maximum of forty-eight thousand rupees to each such partner; or (ii) the total remuneration payable to all such partners is higher than the said 25 per cent , such percentage, or a sum calculated at the rate of forty – eight thousand rupees to each such partner, whichever is less , shall be deducted under this proviso: Provided also that where such employer is an individual or a Hindu Undivided Family - (i) an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by such employer from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 34; or (ii) forty-eight thousand rupees, whichever is less by way of remuneration to such employer, shall also be deducted.

Explanation : The expression "reserves" occurring in column (3) against Item Nos. 1(ii), 2(iii) and 3(ii) shall not include any amount set apart for the purpose of-

- (i) payment of any direct tax which, according to the balance-sheet, would be payable;
- (ii) meeting any depreciation admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34;
- (iii) payment of dividends which have been declared, but shall include,-
 - (a) any amount, over and above the amount referred to in clause-(i) of this Explanation, set apart as specific reserve for the purpose of payment of any direct tax; and
 - (b) any amount set apart for meeting any depreciation in excess of the amount admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34.

Schedule E

(see rule 4 (2))

All the classes of employees notified vide notification dated 26.07.2011 are categorized as under :

Unskilled	Unskilled
Semiskilled	Semiskilled
Skilled	Skilled
Non Matriculates	Semi Skilled
Matriculates but not graduates	Skilled
Graduate & above	Highly Skilled

S.No.	UNSKILLED
1	Calf boy
2	Cattleman
3	Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
4	Collecting loose fodder
5	Dairy coolie
6	Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haysteking, Irrigation, Manure, Stacking, Milk- room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
7	Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)
8	Grazler
9	Dairyman
10	(Store-Mazdoor)
11	Carrier (Stone),
12	Breaker (using manual appliances)
13	Helper
14	Messenger (Office)
15	Mali
16	Tying and Carrying loose hay
17	Sweeper
18	Weighing and Carrying bales,
19	Wightman (Bales, pally),
20	Waterman,
21	Stable man,
22	Trolley man
23	Valveman,
24	Watchman,
25	White Washer,
26	Wooder
27	Borryman,
28	Condenser,
29	Attendant,
30	Grass Cutter,

31	Condenser Attendant,
32	Turner,
33	Bajri Spreader,
34	Beater
35	Chain Man,
36	Boat Man,
37	Bucket Man,
38	Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting-Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding)
39	Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit),
40	Cartman,
41	Caretaker (Bridge),
42	Carrier (Water),
43	Chowkidar,
44	Concrete (Hand Mixer),
45	Daffadar,
46	Khalasi not attending to machines
47	labourer (Garden),
48	Mazdoor,
49	Hole Cutter,
50	Cleaner
51	Dresser
52	Loader
53	Carrier
54	Earth Cutter
55	Gate Man,
56	Concrete (Hand Mixer)
57	Dismantling stocks
58	Lampman
59	Beldar/Beldar (Canteen)
60	Coolie
61	Peon
62	Cook-helper
63	Office Boy
64	Loader/UnLoader
65	Excavating Labour
66	Digger
67	Butcher
68	Lorry Helper
69	Surface loader
70	Person employed in loading and unloading
71	Person employed in sweeping and cleaning and other categories by whatever name called which are of unskilled nature
72	Any other Employment having similar nature of work and experience as mentioned from s.no. 1 to 71

S.No	SEMI SKILLED
1	Assistant (Chowdhary)
2	Assistant-Plumber
3	Attendant
4	Bhisti
5	Brander
6	Bullman
7	Butterman
8	Coachman
9	Cobbler
10	Cultivator
11	Daftry
12	Deliveryman
13	Dhobi
14	Dresser
15	Fireman
16	Gowala
17	Hammerman
18	Helper (Blacksmith)
19	Helper
20	Jamadar (stand)
21	Jamadar
22	Khalasi
23	Mali Senior
24	Mate/Mistry
25	Mazdoor (literate)
26	Nalband
27	Oilman
28	Ploughman
29	Vtackers
30	Supervisor
31	Thatcher
32	Valveman
33	Valveman (Senior)
34	Wireman fixing tin cables
35	Cook
36	Dandee
37	Frash

38	Hacksaw man
39	Helper (locco-Crane/Truck)
40	Manjhee (Boatman)
41	Belchawala
42	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
43	Bhisti (with Mushk)
44	Boatman (head)
45	Breaker,
46	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal)
47	Canweaver
48	Chainman(Head)
49	Charpoy-Stringer
50	Checker
51	Cracker
52	Dollyman
53	Assistant
54	Driller
55	Driver (Skin)
56	Excavator
57	Ferroman
58	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
59	Gate Keeper
60	Gharami
61	Classman
62	Grater
63	Greaser-cum-Fireman
64	Grinder
65	Hammerman
66	Helper (Artisan)
67	Helper (Sawyer)
68	Keyman
69	Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
70	Labourer (Rock-Cutting)
71	Lascar
72	Mali (Head)
73	Stockers and Boilerman
74	Thoombaman (Spade worker)
75	Tindals
76	Trolleyman (Head Motor)

77	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
78	Jamadar (Semi-skilled)
79	Mate (Stone)
80	Kasab
81	Khalasi (Structural)
82	Masalchi P.M. Mates
83	Miner
84	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
85	Butler/Cook
86	Breaker (using mechanical appliances)
87	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
88	Assistant Driller
89	Oilman/Oiler
90	Chowkidar/ Watchman
91	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
92	Tindals
93	Topas
94	Topkar (Big Stone Breaker)
95	TrollyJamadar
96	Winchman
97	Attendance-keeper
98	Assistant Wireman
99	Mate
100	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
101	Engine Driver and/or Feeder
102	Fitter
103	Gang
104	Mazdoor Mason
105	Permanent Way
106	Pump-Driver,Turner)
107	Mazdoor (Heavy-weight)
108	Charge-man
109	Mistri (Head
110	Muccadam
111	Night-guard
112	Runner (Post dak)
113	Oilman
114	Quarry man
115	Quarry Operator

116	Stoneman
117	Stocker
118	Thatcher
119	Pump Attendant
120	Bearer
121	Breakman
122	Crowlder Man
123	Laboratory Boy
124	PointsmanSencummy
125	Stone mines and other cateogires by whatever name called which are of semi-skilled nature
126	Any other Employment having similar nature of work and experience as mentioned from s.no. 1 to 125

S.No	SKILLED
1	Artificer (Class-II, III, IV)
2	Blacksmith (Class II)
3	Boiler man
4	Carpenter (Class II) Carpenter-cum- Blacksmith
5	Chowdhary
6	Driver
7	Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
8	Electrician
9	Fitter
10	Mason Class II
11	Machine hand (Class II, III, IV)
12	Mate Gr. I (Senior)
13	Mechanic
14	Mistry (Head)
15	Moulder
16	Muster Writer
17	Operator (Tube-well)
18	Painter
19	Plumber
20	Welder
21	Upholsterer
22	Wireman,
23	Chipper
24	Chipper-Cum-Grinder
25	Cook (Head)
26	Driller
27	Driller (Well Boring)

28	Driver(Loco/Truck)
29	Electrician (Assistant)
30	Mechanic (Tube-Well)
31	Mistry(Tube-Well, Telephone)
32	Meter Reader
33	Operator (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pile Driving, Scrapper, Screening Plant, Shoval, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Repairer (Battery)
34	Sprayer (Ashalt) Station Master
35	Trades-Man
36	Turner/Miller
37	Sawyer
38	Sawyer (Selection Grade Class II) Serang
39	Driving Pantooms with Boiler
40	Shift-incharge
41	Sprayman (Roads)
42	Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II)
43	Stone Chisler (Class II)
44	Sub-Overseer (Unqualified)
45	Surveyors
46	Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II)
47	Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver,
48	Pump man
49	Plumber
50	Polisher (with spray) Grade II
51	Rod Bender
52	Haulage Operator
53	Dispensary Attendant
54	Supervisory Fireman
55	Compressor Driver
56	Tailor
57	Tailor(Upholstry)
58	Tar man
59	Line Man
60	Tiler Class II
61	Wall(Floor, Roof)
62	Tiler (Selection Grade)
63	Tin Smith(Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker
64	Armature Winder Grade-II and III

65	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)
66	Boilerman Grade II and III
67	Boiler Foreman Grade II
68	Bricklayer (class II)
69	Chowkidar (Head)
70	Security Guard (without arms)
71	Concrete Mixure Operator
72	Cobbler
73	Driver (Motor vehicle)
74	Distemprrer, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
75	Fitter
76	Joiner
77	Lineman (Grade II,III, High Tension/Low Tension)
78	Mason (Grade II, III and Class B Mistry)
79	Brick-layer
80	Tile Flooring
81	Stone cutting
82	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II
83	Road Roller Grade II
84	Assistant, Radio
85	Mistry
86	Moulder
87	Painter
88	Plasterer
89	Plumber
90	Plumber-cum-Fitter
91	Polisher
92	Turner
93	Upholsterer
94	Upholsterer (Grade II and III)
95	Painter Spray (Class II)
96	Wood Cutter
97	Welder
98	Auto-electrician
99	Chargeman
100	Chemist and Assistant/ Chemist
101	Sub- overseer (unqualified)
102	Driller
103	Handhole Driller

104	Drill Mechanic
105	Driver Auto
106	Foreman
107	Loader Operator
108	Mid Wife
109	Tinsmith
110	Skilled Mazdoor
111	Supervisor
112	Drafts Man
113	Wireman
114	Timber Man/Timber Mistry Elect.
115	Stone Crusher Operator
116	Security Guard (Unarmed) /Head Chowkidar
117	Machinery Attendant
118	Air-conditions Mechanic
119	Generator Operator
120	White Washing and Colour Washing Man
121	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
122	Borer
123	Security Guard (without arms)and other cateogires by whatever name called which are of skilled nature
124	Assistant (Cashier)
125	Librarian
126	Telex or Telephone Operator
127	Hindi Translator
128	Accounts Clerk
129	Clerks
130	Computer/Data Entry Operator
131	Typist
132	Store Attendant
133	Munshi (Matriculate)
134	Store Clerk (Matriculate)
135	Store Keeper
136	Time Keeper
137	Book Keeper
138	Work Munshi
139	Store clerk
140	Tally Clerk
141	Store Issuer
142	Tool Keeper

143	Record Keeper
144	Tracer
145	Any other Employment having similar nature of work and experience as mentioned from s.no. 1 to 144

S.NO	HIGHLY SKILLED
1	Artificier Class I
2	Blacksmith Class I
3	Carpenter Class I
4	Mason Class I
5	Mechanic (Senior)
6	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
7	Plumber (Head, class I)
8	Mistry Grade I
9	Polisher (with spray Grade I)
10	Road Inspector Grade I
11	Sawyer Class I
12	Stone Cutter Class I
13	Stone Cutter Grade I
14	Stone Chisler Class I
15	Stone Mason Class I
16	Sub-Overseer (Qualified)
17	Tiler Class I
18	Tinsmith Grade I and Class I
19	Upholsterer Grade I
20	Varnisher Class I
21	Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic
22	Welder (Gas) Class I
23	White Washer Class I
24	Wireman Grade I, Class I
25	Wood Cutter Class I
26	Grinder (Tool) Grade I
27	Operator (Batching Plant Grade I)
28	Leader Grade I
29	Pile Driving Grade I
30	Pump Grade
31	Scrapper Grade I
32	Pump oprtator Grade I
33	Scrapper Grade I
34	Security Guards (with arms)

35	Armature Winder Grade I
36	Blacksmith Grade I and Class I
37	Boilerman Grade I
38	Boilerman Foreman Grade I
39	Brick Layer class I
40	Cable Joiner Grade I
41	Carpenter grade I and Class I
42	Celo Cutter and Decorator
43	Chargeman Class I
44	Checker (Sr) Driver Lorry Grade I
45	Motor Lorry Grade I
46	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
47	Road Roller Grade I
48	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
49	Fitter (Grade I, Class I)
50	Pipe Class I (Head)
51	Foreman(Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I)
52	Mast Rig
53	Mechanic Class I and Class II
54	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I
55	Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
56	Mistry (Airconditioning Grade I)
57	Overseer
58	Overseer (Senior and Junior)
59	Dragline Grade I
60	Drill Grade I
61	Dumper Grade I
62	Excavator Grade I
63	Fork Lift Grade I
64	Generator Grade I
65	Rigger Grade IS
66	Tradesman Class I
67	Turner/Miller Grade I
68	Work (Assistant) Grade I
69	Compounder
70	Surveyor
71	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
72	Head Mistry
73	Staff Nurse with Diploma

74	Drill Operator other than Jack Hammer
75	Electrical Supervisor with Competency Certificate
76	Head Mechanic
77	Qualified and Experienced Welder
78	Machine Tool Mechanic
79	Mechanical/Plant Foreman
80	Vocational Training Instructor
81	Head Electrician
82	Accountant
83	Steno with 7 years of service
84	Store Incharge
85	Shift Incharge
86	Supervisor
87	Incharge of Watch and Ward
88	Crane Grade I
89	Compressor Grade I
90	Grader Grade I
91	Vibrator Grade I
92	Screening Plant Grade I
93	Shovel Grade I
94	Security Guard (with Arms)and other categories by whatever name called which are of Highly- skilled nature
95	Any other Employment having similar nature of work and experience as mentioned from s.no. 1 to 94